



Gi Group  
India



# Compliance Newsletter

**We take privilege in sharing with you April' 2021 edition of our monthly Compliance Newsletter. The newsletter will help you stay updated with the latest regulatory changes, notifications and amendments.**



## Contents

Minimum Wages Revision_____	4 - 10
Notifications, Circulars and Amendments_____	11 - 12
Disclaimer Contact Information _____	13
Annexure _____	14 - 106

Dear Reader,

In this edition of our monthly Compliance Newsletter, we bring to you the latest Minimum Wages revisions notifications from the states of Madhya Pradesh, Telangana, Gujarat, Uttarakhand, Tamil Nadu, Jharkhand,

Further, we have also appended the notifications and amendments released in the month of April '2021

Read further to know more!

Best Regards,

Gi Group

## Minimum Wages Revisions

### The Madhya Pradesh Minimum Wages Notification

As per notification number 1/11/Five/2015/9952-10151, the Government of Madhya Pradesh has released minimum wages for the State of Madhya Pradesh effective from 1st April 2021. Please refer below rates of wages and also the notification appended herewith for detailed information.

State: Madhya Pradesh				
Effective Date: 01/04/2021				
Nature of Employment: Shops & Establishment				
Category	Basic Wages	VDA	Total Per Month	Total Per Day
Unskilled	6500	2200	8700	334.62
Semi-Skilled	7057	2500	9557	367.58
Skilled	8435	2500	10935	420.58
Highly Skilled	9735	2500	12235	470.58

### The Gujarat Minimum Wages Notification

The Government of Gujarat has released the revised Minimum Wages dearness allowance for the State of Gujarat effective 1st April 2021. Please refer below rates of wages and also the notification appended herewith for detailed information.

State: Gujarat						
Effective Date: 01/04/2021						
Nature of Employment: Shops & Establishment						
Category	Zone	Basic Per Day	VDA/Spl Allow Per Day	Basic Per Month	VDA/Spl Allow Per Month	Total (Basic + VDA) Per Month
Un Skilled	I	276	72.2	7176	1877.2	9053.2
Semi- Skilled		284	72.2	7384	1877.2	9261.2
Skilled		293	72.2	7618	1877.2	9495.2
Un Skilled	II	268	72.2	6968	1877.2	8845.2
Semi- Skilled		276	72.2	7176	1877.2	9053.2
Skilled		284	72.2	7384	1877.2	9261.2

### The Telangana Minimum Wages Notification

As per the press note released, Commissioner of Labour Telangana, Hyderabad and the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948 has declared the CPI points for calculation of variable dearness allowance for the State of Telangana with effect from 1st April 2021. Please refer below rates of wages and also the notification appended herewith for detailed information.

State: Telangana							
Effective date: 01/04/2021							
Category: commercial establishment							
Designation	Zone	Category	Basic	D.a points	Cost of living index per point	Da x cost of living index	Basic+da= minimum wages
Manager/ field manager/ development officer/ computer programmer	Zone-i		5557	1070	6.4	6848	12405
Asst. Manager/ accountant/ sales executive/ supervisor/ store keeper	Zone-i		4722	1070	6.4	6848	11570
Sales man/ stenographer/ receptionist/ tradesman/ electrician	Zone-i	Skilled	4520	1070	6.4	6848	11368
Clerk/ typist/ asst. Salesman/ godown incharge/ xerox machine operator	Zone-i	Semiskilled-a	4102	1070	6.4	6848	10950
Weigh men/ kolagari/ computer operator	Zone-i	Semiskilled-b	3886	1070	6.4	6848	10734
Peon/ attender/ watch man/ water boy/ helper/ messenger	Zone-i	Unskilled	3700	1070	6.4	6848	10548
Manager/ field manager/ development officer/ computer programmer	Zone-ii	Officer	5138	1070	6.4	6848	11986

Asst. Manager/ accountant/ sales executive/ supervisor/ store keeper	Zone- ii	Supervisor	4520	1070	6.4	6848	11368
Sales man/ stenographer/ receptionist/ tradesman/ electrician	Zone- ii	Skilled/ trades man	4302	1070	6.4	6848	11150
Clerk/ typist/ asst. Salesman/ godown incharge/ xerox machine operator	Zone- ii	Semiskilled - a	3886	1070	6.4	6848	10734
Weigh men/ kolagari/ computer operator	Zone- ii	Semiskilled - b	3757	1070	6.4	6848	10605
Peon/ attender/ watch man/ water boy/ helper/ messenger	Zone- ii	Unskilled	3370	1070	6.4	6848	10218

#### The Uttarakhand Minimum Wages Notification

As per notification No 1892/4-01/13, the Government of Uttarakhand has released Minimum Wages for the State of Uttarakhand effective from 1st April 2021. Please refer the notification appended herewith and table below for detailed information.

<b>State: Uttarakhand</b>				
<b>Effective Date: 01/04/2021</b>				
<b>Category: Various including Shops &amp; Commercial Establishment</b>				
Class of Employment	Class of workers	Basic Per Month	VDA Per Month	Total Per Month
Unskilled	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	8331	800	9131
Unskilled	For Remaining Parts of the State	8213	800	9013
Semi-skilled	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	8924	800	9724
Semi-skilled	For Remaining Parts of the State	8788	800	9588
Skilled	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	9518	800	10318
Skilled	For Remaining Parts of the State	9370	800	10170
Clerical Category - I	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	10520	800	11320
Clerical Category - I	For Remaining Parts of the State	10328	800	11128

Clerical Category – II	For Adult Workers In Towns of More Than One Lakh Population	9772	800	10572
Clerical Category – II	For Remaining Parts of the State	9611	800	10411

### The Tamil Nadu Minimum Wages Notification

Government of Tamil Nadu vide notification Z 3/6667/2021 has revised the dearness allowance payable to the class of employees in employment in shops and commercial establishments in the state of Tamil Nadu. Please refer the notification appended herewith and table below for detailed information.

<b>State: Tamil Nadu</b>								
<b>Effective Date: 01/04/2021</b>								
<b>Category: Shops &amp; Establishment</b>								
S.No	Class of Employees	Category	Zone-A			Zone-B		
			Basic	VDA	Total	Basic	VDA	Total
1	Manager, Sales Manager, Field Officer, Development Officer, Office In- Charge	High Skilled	5960	4374	10334	5910	4374	10284
2	Assistant Manger, Accountant, Supervisor, Sales Executive, Purchaser, Store Keeper, Agent, Sales Promotion Employees	Skilled	5548	4374	9922	5496	4374	9870
3	Cashier, Clerk, Typist Cum Clerk, Typist, Stenographer, Sales Man, Sales Representative, Auction Bidder, Tradesman, Bill Writer	Semi-Skilled-I	5507	4374	9881	5446	4374	9820

4	Bill Collector, Booking Clerk, Bill Clerk, Godown Keeper, Assistant Salesman, Godown In-Charge, Accounts Asstt, Receptionist, Lineman, Tally Clerk, Security Guard, Weighman, Driver	Semi-Skilled-II	5457	4374	9831	5396	4374	9770
5	Peon, Watchman, Shop Asstt, Helper, Packer, Attender, Delivery Boy, Messenger, Lift Operator, Shop Boy, Water Boy, Sweeper, Gardner, Scavenger	Un Skilled	5396	4374	9770	5338	4374	9712
S.No	Class of Employees	Category	Zone-A			Zone-B		
			Basic	VDA	Total	Basic	VDA	Total
1	Manager, Sales Manager, Field Officer, Development Officer, Office In- Charge	High Skilled	5858	4374	10232	5818	4374	10192
2	Assistant Manger, Accountant, Supervisor, Sales Executive, Purchaser, Store Keeper, Agent, Sales Promotion Employees	Skilled	5446	4374	9820	5396	4374	9770
3	Cashier, Clerk, Typist Cum Clerk, Typist, Stenographer, Sales Man, Sales Representative, Auction Bidder, Tradesman, Bill Writer	Semi-Skilled-I	5387	4374	9761	5338	4374	9712



4	Bill Collector, Booking Clerk, Bill Clerk, Godown Keeper, Assistant Salesman, Godown In-Charge, Accounts Asstt, Receptionist, Lineman, Tally Clerk, Security Guard, Weighman, Driver	Semi-Skilled-II	5338	4374	9712	5285	4374	9659
5	Peon, Watchman, Shop Asstt, Helper, Packer, Attender, Delivery Boy, Messenger, Lift Operator, Shop Boy, Water Boy, Sweeper, Gardner, Scavenger	Un Skilled	5275	4374	9649	5218	4374	9592

#### The Jharkhand Minimum Wages Notification

The Government of Jharkhand vide Notification No-2/MW-2071/2010, L&T-514 has released the Minimum Wages effective from 1st April 2021. Please refer the notification appended herewith and table below for detailed information.

State: Jharkhand			
Effective Date: 01/04/2021			
Nature of Employment: 77 Scheduled Employment including Shops & Establishment			
Category	Basic	VDA	Total Minimum Wages
Unskilled	7145.06	949.57	8094.63
Semi-Skilled	7485.4	994.8	8480.2
Skilled	9867.26	1311.35	11178.61
Highly Skilled	11398.14	1514.81	12912.95

## The Central Sphere Minimum Wages Notification

As per notification F.No. 1 I /16(2)/2021-LS-II, Government of India has released Minimum Wages for the Central sphere effective 1st April 2021. Please refer the notification appended herewith and table below for detailed information.

<b>Central Sphere Minimum Wages</b>			
<b>Effective Date : 01/04/2021</b>			
<u>Category: Industrial Workers - Construction Or Maintenance Of Roads Or Runaways Or In Building Operations Including Laying Down Underground Electric, Wireless, Radio, Television, Telephone, Telegraph And Overseas Communication Cables And Similar Other Underground Cabling Work, Electric Lines, Water Supply Lines And Sewarage Pipe Lines</u>			
Category	Zone A	Zone B	Zone C
Unskilled	16770	14014	11206
Semi-Skilled	18564	15834	13130
Skilled	20384	18564	15834
Clerical	20384	18564	15834
Highly Skilled	22178	20384	18564

## Notifications/Circulars/Amendments

### The Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2021

EPFO vide notification no. G.S.R. 299 E has amended The Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976. As per the amendment, the maximum assurance benefit under the Employees' Deposit Linked Insurance (EDLI) scheme has now been increased to Rs. 7,00,000 from the existing cover of Rs. 6,00,000. Following are the salient points of the amendment:

1. The claim amount under ELDI is 35 times the average monthly salary in the past 12 months subject to a maximum of 7 lakh (Rs. 5.25 lakh as Basic + Rs. 1.75 lakh as Bonus).
2. The average monthly wages are drawn (subject to a maximum of Rs. 15000), during the twelve months preceding the month in which he died, multiplied by 35 times plus 50% of the average balance in the account of the deceased in the Fund or of a provident fund exempted under section 17 of the Act or under paragraph 27 or 27 A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, as the case may be, during the preceding twelve months or during the period of his membership, subject to a ceiling of Rs. 1,75,000 (Whichever is less has been omitted)
3. The assurance benefit shall not be less than Rs. 2,50,000
4. For declaring false information or false submission of return, Employer shall be punishable with imprisonment which may extend to one year or with fine the punishment is Rs. 25,000 or with both
5. The scheme shall be in force for a period of 3 years with effect from the date of publication of this Scheme in the Official Gazette
6. The Scheme is given effect retrospectively from the 15th day of February 2020, which will not adversely affect the interests of any person.

### Order on Extension of Filing Monthly Return and Enrolment Tax under the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976

The Government of Karnataka vide notification No. FD 03 CPT 2020 has extended the due date concerning the filing of the Monthly Returns for the month of April 2021 till 20th June 2021 and payment of Enrolment tax till 30th May 2021 on account of the COVID 19 pandemic. Please refer to the notification appended herewith for more details.

## Order on Extension of Due Date for Filing Annual Returns under the West Bengal State Tax on Professions, Trades, Callings, And Employments Act, 1979

Government of West Bengal, Directorate of Commercial Taxes in exercise of the power conferred under Rule 12 of the West Bengal State Tax on Professions, Trades, Callings, and Employments Rules, 1979, for the financial year ending 31st March 2021, the last date of filing Annual return in Form-III has been extended from the earlier date of 30th April 2021 to 30th June 2021. The last date for furnishing the paper form of that return also has been extended from 15th May 2021 to 15th July 2021. Please refer to the notification appended herewith for more details.

## Extension of Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana Scheme

ESIC vide notification no. No. N-12/13/1/2019 P&D has extended the relaxation in eligibility conditions in the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for period 01.01.2021 to 30.06.2021 with the same terms and conditions as notified on 16.10.2020 in the Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III Section 4 Sl. No 436 dated 14.10.2020 and with the relaxation in the conditions as notified on 11.01.2021 in Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III section 4 dated 04.01.2021. Please refer to the notification appended herewith for more details.

## The Payment of Gratuity (Gujarat) (Amendment) Rules, 2021

The Government of Gujarat vide notification no. GHR/2021/22/LBL/192020/510460/M3 has deleted provision towards Rule 4 (display of notice) and Rule 19 (display of abstract of the act and rule) respectively. Hence, the employers registered under the Act in the state of Gujarat may make note of this amendment and comply accordingly. Please refer to the notification appended herewith for more details.

**Disclaimer:** All information and content contained in this document are provided solely for general information and reference purposes. GI Group India makes no statement, representation, warranty or guarantee as to the accuracy, reliability or timeliness of the information and content contained in this document. Although every possible care and caution has been taken to avoid any mistakes or omissions while editing. Printing, producing online or publishing the judgments, Head Notes, Editorials, Articles, Forms& Precedents, the subscriber or reader should verify the correctness respectively from the full text as in the certified copy of Judgements or Gazettes concerned. Neither GI Group India nor any of its related company accepts any responsibility or liability for any direct or indirect loss or damage (whether in tort, contract or otherwise) which may be suffered or occasioned by any person howsoever arising due to any inaccuracy, omission, misrepresentation or error which may inadvertently crept on despite care and caution in respect of any information and content provided by this document.

**Contact Information:**

Name- Sushil Shah, Legal and Compliance

Email- [marcom.india@gigroup.com](mailto:marcom.india@gigroup.com)

Address- World Trade Tower, Tower-B, Unit 503, 5th Floor, Sector 16, Noida, Uttar Pradesh 201301

Website- [www.gigroup.co.in](http://www.gigroup.co.in)



श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

न्यूनतम वेतन

एवं

मंहगाई भत्ते की दरें

दिनांक 01/04/2021 से प्रभावशील

—

—————

—

न्यूनतम वेतन दरें श्रम विभाग की वेबसाईट  
[www.labour.mp.gov.in](http://www.labour.mp.gov.in) पर उपलब्ध है

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत श्रमिकों हेतु  
दिनांक 01/04/2021 से प्रभावशील  
न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील  
मंहगाई भत्ते की दरें

1 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क. 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क. 20-28
अगरबत्ती उद्योग	पृष्ठ क. 29-35
अन्य	पृष्ठ क. 36-37

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 1/11/अन्वे/पाच/2015/9952-10151, इंदौर, दिनांक ~~1/4/2021~~ 1/4/2021

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त न.प्र. एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया, जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	336
अगस्त	338
सितम्बर	339.84
अक्टूबर	344.16
नवम्बर	345.31
दिसम्बर	342.14
औसत	2045.45-6=340.90 (341)

तथा इनका औसत 341 घोषित करता हूँ जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता देय है।

न.प्र. राजपत्र दिनांक 10 जून 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्र. एफ 4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कतिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबद्ध की गई हैं। जो कि दिनांक 10 जून 2016 से लागू है।

  
(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर  
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी



## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

### परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 358 से 380, 384से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(जनवरी-जून 2014), 2001=100 को आधार मानकर संबंध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन इन्दौर की अधिसूचना 1/11/अन्वे./पांच/2015...<sup>9952-</sup>  
1051 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 341 रहा है। गत छ. माही का औसत 329 रहा था अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 329 के ऊपर  $(341-329)=12$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित नियोजनों में अर्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये  $(25 \times 12) = 300-00$  की वृद्धि हुई है तदनुसार अर्धकुशल, कुशल, एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241(2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(341-241)=100$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये  $(25 \times 100) = 2500.00$  प्रतिमाह या  $(2500 \div 26)$  रुपये 96.15 प्रतिदिन एवं अकुशल श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के उपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(341-253)=88$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि  $(88 \times 25) = 2200.00$  प्रतिमाह या प्रतिदिन  $(2200 \div 26) = 84.61$  रुपये दिनांक 1.04.2021 से 30.10.2021, देय है। (अनुसूचि अ.व.स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के पत्र क्रमांक 303/आर/577/ 92/नि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सहपठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.82 के अनुसरण में, मैं एतद् द्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरें संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूची 'क' के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 1.04.2021 से 30.10.2021 तक देय है।



## परिशिष्ट-अ

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, के अन्तर्गत अनुसूचित नियोजन जिनमें वेतन निर्धारित है

भाग-एक

क्रमांक	अनुसूचित नियोजन
1.	किसी कपास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन
2.	किसी वन लगाने तथा वन उपज में नियोजन
3.	किसी मार्गों के निर्माण या सन्हाल या भवन निर्माण कार्य में नियोजन
4.	किसी लोक मोटर परिवहन में नियोजन
5.	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन
6.	किसी सिंचाई कार्यों के निर्माण तथा संधारण में नियोजन
7.	किसी केमिकल तथा फार्मास्युटिकल्स में नियोजन
8.	किसी आरा मिल में नियोजन
9.	किसी तेल मिल में नियोजन
10.	किसी चावल मिल या आटा मिल या दाल मिल में नियोजन
11.	किसी मुरा पोहा निर्माणी में नियोजन
12.	किसी खाद्य पदार्थ में जिसमें केक, बिस्किट्स, कन्फेक्शनरी, आईस्क्रीम, आईसकैंडी सम्मिलित है, के निर्माण में नियोजन
13.	किसी पत्थर तोड़ने या पत्थर पीसने के कार्य में नियोजन
14.	किसी दूकान वाणिज्यिक संस्थान, आवासीय होटल, रेस्टारेंट तथा नाट्यगृह में नियोजन
15.	किसी मुद्राणालय में नियोजन
16.	किसी सीमेंट पोल अथवा सिमेंट से निर्मित उत्पाद में नियोजन
17.	किसी प्लास्टिक उद्योग में नियोजन
18.	किसी फ्यूएल कोक में नियोजन
19.	किसी घूना मट्टे में नियोजन
20.	किसी ईट मट्टे में नियोजन
21.	किसी पावर लूम / जिसमें सायजिंग एवं प्रोसेसिंग भी सम्मिलित है / में नियोजन
22.	किसी स्थानीय प्राधिकरण में नियोजन
23.	किसी कोसा उद्योग में नियोजन
24.	किसी खांडसारी उत्पादन में नियोजन
25.	किसी पाटरीज जिसमें रिफेक्ट्री सामान, फायरब्रिक्स, सेनिटरी वेअर, इन्सुलेटर्स, टाइल्स, (सिमेंट से निर्मित टाइल्स को छोड़कर) स्टोन वेअर पाईप्स, फरनेस, लाईनिंग ब्रिक्स तथा अन्य सीरेमिक्स सामान सम्मिलित है, में नियोजन
26.	किसी कम्बल निर्माण कार्य में नियोजन
27.	किसी स्लेट, पेंसिल निर्माण शाला में नियोजन
28.	किसी कत्था उद्योग में नियोजन
29.	किसी रामरज गेरु के निर्माण में नियोजन
30.	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन
31.	किसी बोनमिल में नियोजन
32.	किसी टाइल्स, जिसमें भेंगलोर टाइल्स, अलाहाबाद टाइल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाइल्स सम्मिलित है, परन्तु सीमेंट से निर्मित टाइल्स सम्मिलित नहीं है, के निर्माण में नियोजन
33.	किसी विनिर्माण प्रक्रिया जिसमें विनिर्माण प्रक्रिया जो कि कारखाना अधि. 1948 की धारा दो (क) में परिभाषित की गई है। चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य प्रविधि के अन्तर्गत नहीं आती है, में नियोजन

34	किसी प्रायवेट अस्पताल जिसमें परामर्श केंद्र तथा विकृति विज्ञान(पेथालोजिकल) प्रयोगशाला सम्मिलित है में नियोजन
35	किसी प्रायवेट शैक्षणिक संस्था , जिनमें कोचिंग केंद्र भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
36	किसी तैयार किये गये (रेडिमेड) वस्त्र विनिर्माणशाला में नियोजन
39	किसी खदान जैसे कंकड़, मुरम, लेट्राईट, बोल्टर, ग्रावेल शिंगड़ा, साधारण रेती, बिल्डिंग स्टोन, रोड मेटल, अर्थ फुलर्स अर्थ और लाईम स्टोन तथा अन्य खदान जो खान अधिनियम की धारा 3 के अधीन छूट प्राप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाइल्स कर्मशाला एवं मरम्मत हेतु संचालित गैरेजस में नियोजन
41	किसी बेकरी में नियोजन
42	किसी कोल्ड स्टोरेज(शीतागार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा वाणिज्यिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेन्ट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमागृहो या थियेटरो में नियोजन
46	किसी क्लब में नियोजन
47	किसी आसवनी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिवक्ता या अटार्नी के कार्यालय में नियोजन
49	किसी हेअर कटिंग सेलून या ब्यूटी पार्लर में नियोजन
50	किसी उर्वरक या पेस्टीसाईड(कीट नाशक दवा) के विनिर्माण में नियोजन
51	किसी झिलिंग प्रचालन या ट्यूबवेल के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रानिक्स या सहबद्ध कार्य में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पम्पो में नियोजन
54	मिट्टी के किसी खुदाई कार्य में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के विनिर्माण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिक्शा और टेक्सी चलाने के कार्य में नियोजन
58	किसी विपणन सोसायटियों, उपभोक्ता कोआपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक(को-आपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजयरी में नियोजन
60	किसी साबुन निर्माण (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध से उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलौना निर्माण, जिसमें कपड़े से निर्मित खिलौने भी सम्मिलित हैं, में नियोजन
63	किसी सुरक्षा कार्य तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा गैर सरकारी डाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी डाटा प्रोसेसिंग कार्य में नियोजन
66	किसी अचार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण में नियोजन
68	दवाईयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रय संवर्धन कार्यों में नियोजन
70	किसी सफाई कार्य में नियोजन
71	किसी पुरातात्विक कार्य में नियोजन
72	किसी सूचना प्रौद्योगिकी कार्य में नियोजन
	भाग दो
1.	कृषि में नियोजन

  
 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रमआयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

परिशिष्ट-बस्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर मास के समस्त अवकाश के दिनों का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न दर्गीकरण में बताए गये हैं (वे उदाहरण स्वरूप हैं न कि विस्तृत तथा वर्ग कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर वही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है।
3. उच्च कुशल, कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की परिभाषा -
  - (क) "कुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिए।
  - (ख) "अर्धकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किंतु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हों और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
  - (ग) "अकुशल कर्मचारी" से अभिप्रेत है जो, ऐसे सरल कार्य करना है जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न यस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिचित होना चाहिए।
  - (घ) "उच्च कुशल कर्मचारी" वह है जो तकनीकी एवं विशिष्ट स्वरूप का कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकनीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकनीकी शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विशिष्ट ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसे करने के लिए सघन तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कतिपय उचित अवधि के व्यावहारिक कार्य अनुभव से अर्जित संपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन कार्यों के निष्पादन के बाबद किये जाने वाले निर्णयों या विनिश्चयों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च कुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है जिसने किसी स्तरीय तकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात उचित अवधि का व्यवहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तात्कालिक रूप से आवश्यक सातान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

- (4) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है।  
(न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- (5) किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते का योग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के योग से कम है, तो श्रमिक अंतर की राशि के लिए पात्र होंगे।
- (6) न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
- (7) जहां कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे, जो आठ घंटे, दैनिक, छः दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सदैवनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
- (8) यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को बेहतर दरें देय होंगी।
- (9) कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर यही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।

  
 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रमआयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की उदाहरणार्थ सूची:-

अकुशल:-

मजदूर (पुरुष एवं महिला), भिश्ती, स्वीपर, क्लीनर/हेल्पर, अप्रशिक्षित माली, चपरासी/प्यून/मृत्य, चौकीदार, आईल डालनेवाला, वॉटर मेन (खल्लासी), क्लीकल अटेण्डेंट, पहरेदार, कुली, डाक रनर, वॉचमैन, बॉटल क्लीनर, वेटर, सर्विस-मैन, गेट कीपर, ट्रॉली बॉय, पोस्टरमैन, वेन्डर, प्रेसमैन, छेड़वाला, सिलाई ओपनिंग, डंपिंग कार्य करने वाला, घरवाहा, कांजी हाउस मेन, लायसेंस वेन्डर, बालवाड़ी आया, ग्राम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर, प्याऊ पर पानी पिलाने वाला रोल कटर, जिन मुकादम, जिन मुकादमी, कपास कैरियर (डाले वाला), गनी बेग फिलर, लिटकैरियर, कॉटनशीट्स कैरियर, कपास पिकर, जिन फीडर, झाड़ूवाला, बोंडेवाली, वाशर, वाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की गिनती करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को भांप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की नस्सी काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, गन्ना डालने वाला, खोई सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोईये के सहायक, हवलदार, कार्डिंग लेफा पैकर, बोरी भराई, छनाई, डुलाई, वेगन लदाई या खाली कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्ड बॉय, सेक्यूरिटी गार्ड/सुरक्षा कर्मी, अटेन्डर, अटेन्डेंट, वार्ड सप्लायर, पेंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमैन, श्रमिक (किलन्स), सेटर्स (किलन्स), घादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड्डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, प्रेस का काम करने वाला, लॉन्ड्रीमेन, वॉशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, माला गूथना, पापड़ बेलने का कार्य, बेल बॉय, वेटर, रूम अटेन्डेंट, धागाकटिंग चेकिंग, बाटल एवं डिब्बे की सफाई धुलाई वाला, लिफ्टर, सफाई कामगार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

अर्द्धकुशल:-

टार स्प्रेअर, टार हेण्डलर, कारपेट ड्रेसर, व्हाइट वाशिंग/सफेदी वाला, टाईल टर्नर, प्रेशर, टाईपिस्ट, क्लर्क, मोहरर, सहायक मिस्त्री, लाईनमेन, सहायक बिजली मिस्त्री, सहायक आपरेटर-वाटर वर्क्स, कोबलर, हाफ प्रेस मेन, बिल मेन, सहायक मैकेनिक, सहायक फिटर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, सहायक ग्राइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक पेन्टर, सहायक टिकर, सहायक ब्लेकस्मिथ, सहायक मोल्डर, सहायक वेल्डर, सहायक वल्कनाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक ग्रीसर, सहायक ऑईलर, सहायक टायर फिटर, चालक (हल्के वाहन), परिचालक, जांच करने वाला निरीक्षक, वालमेन, फायरमेन, लिपिक, पम्प अटेन्डेंट, व्हीलबरो कैरियर, क्वेरीमेन, व्हायटनिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी ड्रायवर, टेबलेट मशीन ऑपरेटर, बोतल फिलर, कंप्सूल फिलर, पैकिंग, लेबलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आईलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमैन, एक्सपेलर मेन, मशीन अटेन्डेंट, बिल कलेक्टर, बिल क्लर्क, रिवाइन्डर, बुकिंग सहायक, सहायक रसोईया, पेटीमैन, सहायक सेल्समैन, मसालघी, सहायक मेसन, गारेवाला, मिट्टी गूथने वाला, या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, भट्टे या चिमनी पर ईंट जमाने वाला, मशीन फोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटा फोलर, गांठवाला, सहायक जॉबर, सहा. सधिव, जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, साईजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्विस्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फोरमेन के सहायक, शक्कर बनाने वाला कारीगर, फिनिशिंग कार्य में सहायक कताई कर्मचारी, उन कताई कार्य के कतिनें, कटर होजियरी, चीफर, सहायक पैन ऑपरेटर, सहायक सॉर्टर, मुंशी, फार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी. असिस्टेंट, असिस्टेंट कम्पाउन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्ट मेन, सहायक सिक्यूरिटी सुपरवाईजर, कॉंपिस्ट, असिस्टेंट हेमरमैन, सहायक मशीन ऑपरेटर, मशीन

अटेन्डेंट, पम्प खलासी, डम्पिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, किलन्स शॉप श्रमिक, पंच ऑपरेटर एवं मैक्समूलर, किलन्स श्रमिक, ब्लेजर वैन मिल, फिक्शन, किलन्स अनलोडर्स, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक बेन्डसा आपरेटर, चिपर, मेकेनिक कम हेल्पर, बेन्डसा मेकेनिक कम हेल्पर, सहायक शॉल्टर, सहायक मशीनमेन, बिन्नी सहायक, सूत स्टॉक इंचार्ज, मशीन आपरेटर, सहायक मिक्सरमैन, सहायक टेक्नीशियन, डार्क रूम सहायक, सहायक जिमट्रेनर, सहायक गेम्स ट्रेनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, बुकिंग क्लर्क, शेसर, आया, पैकिंग वाले, लेअर मेन, शर्ट के पल्ले बिछाने वाला, लून्सटकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, सहायक पालिश वाला, असिस्टेन्ट सुपरवाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लान्ट ऑपरेटर, सहायक गाईड, केयर टेकर, मॉड्यूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेअर, जेनीटर, वेक्यूम क्लीनर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

### कुशल:-

गोताखोर, शोवेल एण्ड क्रैन लाईन मोबाईल क्रैन ऑपरेटर, केमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मैसन, प्लम्बर, पॉलिश पेंटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई. पास या मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल से लायसेंस धारी), केबिनेट मेकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एकाउण्टेन्ट, केशियर, गोडाऊनकीपर, फिटर, बायलर अटेण्डेंट, टर्नर, मोल्डर, जेसीबी ऑपरेटर, इंजिन ड्रायवर, ट्रेक्टर ड्रायवर, ट्रक ड्रायवर, डम्पर ड्रायवर, रोड रोलर ड्रायवर, चालक (भारी वाहन), ऑटो चालक, टेक्सी चालक, ड्रिलर, ग्राइण्डर, मैकेनिक, वेल्डर, टाईमकीपर, प्रेशर मेन, राईस मिस्त्री, सेलर मिस्त्री, सुपरवाइजर, खानसामा, कुक, तंदूरची, टी मास्टर, ऑर्डर मास्टर, कारीगर, मिठाई बनानेवाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडक्लर्क, सचिव जनपद पंचायत/ग्राम पंचायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक बालवाड़ी या अशासकीय, आपरेटर वाटर वर्क्स, उपयंत्री बिजली, वाचनालय संयोजक, सीनियर गाईड, फायरमेन, फिल्टर इंचार्ज आपरेटर, मुनीम, वृद्ध पॉलिसर, बोरर, टिनस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोर कीपर, ब्लेक स्मिथ, शोपर, वल्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोल्स्टर, कारपेंटर, टेलीफोन ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, पैटर्न मेकर, हैमरमेन, ग्रेसर, प्रयोगशाला तकनीशियन/लेबोरेटरी टेक्नीशियन, शॉवल, बेलसिकर, प्रयोग शाला सहायक, वैथमिक्सर, प्लांट अटेण्डेंट मोटरमैन, भट्टी वाला, पेंटर, फोटोकॉपी आपरेटर, लोडर्स, अनलोडर्स, लाईन पेकर्स, बिजली मिस्त्री, सिरामिस्ट, टूल्स इंचार्ज, लेथ मशीनिस्ट, कताई इंचार्ज, कंग्रेसर ऑपरेटर, लान्ड्री अटेण्डर, कम्प्यूटर टाईपिस्ट, सिक्युरिटी सुपरवाइजर, सीनियर कम्माउन्डर, सीनियर नर्स, रेकॉर्ड कीपर, ओ.टी. मैकेनिक, व्यवस्थापक, छात्रावास प्रभारी (वार्डन), दर्जी रोलर मिस्त्री, तकनीकी कार्य करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत वितरित करने वाला व्यक्ति, बोन क्रशर, चर्खा चालक, मास्टर (कारीगर), जेकार्ड बुनकर, बुनकर, फ्रेमलूम मास्टर, शेसरमैन, पेंटर, वरिष्ठ लेखापाल, स्टोर कीपर, मशीन ऑपरेटर, बुध पॉलिशर, ड्रायक्लीनडोजर, स्क्रैपर, डीजल पम्प ऑपरेटर, सीनियर मैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, टेकनीशियन के सहायक, लायब्रेरीयन (ग्रंथपाल), पाईपमेजर ऑपरेटर, पॉलिसर, टूल्स इंचार्ज (मेट, फिलिन), मेट, आर्ट सुपरवायजर, वेड पेन ऑपरेटर, मैकेनिक कम ऑपरेटर, वैंडर्स, मैकेनिक कम ऑपरेटर, पेट्स मैकेनिक कम ऑपरेटर, सवैतनिक सचिव, सेल्समेन, आम्बेड सिक्युरिटी गाईड, बाउन्सर, क्लब मास्टर, जिम ट्रेनर, गेम्स ट्रेनर, कोच, डायटीशियन, मसाजर, कोष्टन, बारमेन, स्ट्यूवर्ड, बेकरी कारीगर, ओवन/भट्टी कारीगर, मशीन से मिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पॉलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार खींचना, आभूषण जड़ाई करने वाला, सोपमेकर, प्लान्ट ऑपरेटर, टॉय मेकर, स्टिचर, रिशेप्सनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, मसाला मिश्रण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चेकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेअर, गाईड सुपरवाइजर, सॉर्टर, वाइण्डर, मेकेनाइज्ड हाउस कीपिंग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी।



उच्च कुशल:-

मेडिकल एवं इंजिनियर स्नातक, एम टेक/एम.एस.सी.डिग्री प्राप्त हाईड्रो इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर आपरेटर, जियालॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर आपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कंसलटेंट, सीनियर कंसलटेंट, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, मेडीकल रिप्रेजेन्टेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मैनेजर, टैरीटरी मैनेजर, सेल्स एक्जीक्यूटिव, साईटिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो जिन्हे उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं)

किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में नियोजित श्रमिकों के वर्गीकरण की सूची :-

उच्च कुशल:-

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर-सह स्टेनोग्राफिस्ट, इंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद आदि

लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे:-

अकाउण्टेंट, कैशियर आदि।

लिपिकीय श्रेणी "दो" :-

बिलमेन, टायपिस्ट, क्लर्क।

कुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

फोटोलिथोग्राफर, लिथोऑर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कापी पेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिंटर तथा लेथब्लेड प्रिंटर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिंटर आदि।

कुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

केमरा ऑपरेटर, कमर्शियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, आफ्टिनएचर, ड्रायकलरेचर, लाईनो ऑपरेटर, लाईनो मेकेनिक, मेकेनिक मोनोटाईप की-बोर्ड ऑपरेटर, मोनोटाईप मेकेनिक ऑपरेटर, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सीनियर रीडर आदि।

कुशल श्रेणी "तीन" जैसे :-

कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, ट्रांसफर प्रिंटर, सिलेण्डर प्रेसमेन, गिल्डर कारपेंटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवांडर स्ट्रीचर मशीनमैन, कटर, बाईन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मेन, वायर स्ट्रीचर आदि।

अर्द्धकुशल श्रेणी "एक" जैसे :-

लिथोऑफसेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वार्निशमेन, बेक्सीनर, बॉक्सीन मशीनमेन असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिंटर, असिस्टेंट लिथोऑर्टिस्ट, टचरप्लेट, ग्रेनर स्टोन, पॉलिशर, असिस्टेंट कापी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि ।

अर्द्धकुशल श्रेणी "दो" जैसे :-

स्ट्रेडिंग फार्म कीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बाक्स पंचर, हेण्डबॉक्स या इन्वहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा ऑपरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काऊण्टर चेकर, नम्बर या पेजिंगमेन, चेकर प्रूफ कलर, या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक ग्राइन्डर, परफोरेटर, लेंबर पंचर, रूलिंग फिडर, विमिंगमेन, ड्रायवर, डार्करूम असिस्टेंट फाउण्ड्री, असिस्टेंट ग्राइडिंग ऑपरेटर, जूनियर कम्पोजिटर, जूनियर बाईंडर, जूनियर मशीन मेन, लाईनोबारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर कीपर आदि ।

अकुशल श्रेणी जैसे :-

रोटरी बिलर, हेण्डफोल्डर, बालर, हेल्पर बाइडिंग बायलर क्लिनर, मजदूर आक्जिलरी, गेलीप्रूफ प्रेसमेन, बायलर, अटेंडेन्ट, इश्यूचेकर, इंकर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कार्टिंगबाय रोलर कास्टर, चौकीदार, प्यून, माली, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि ।

  
(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)  
श्रमआयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

## अनुसूची -ब

किस्ती स्लेट पेरिल निर्माण शाला में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपयों में उल्लेख अप कर दैनिक दर	अधिकों का दर	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	कुल वेतन	रूपयों में उल्लेख अप कर दैनिक दरें
------------------	--------------------------	----------	----------------------------------	--------------	---------------------------------	--------------------------	----------	------------------------------------

प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

दिनांक 01.10.2020 से 31.03.2021 तक

दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00	भाजपूर	6500.00	250.00	2200.00	84.61	8700.00	334.64	335.00
6705.00	257.85	2200.00	84.62	8905.00	342.50	343.00	पेकरपट्टी पेकर	6705.00	257.85	2500.00	96.15	9205.00	354.03	354.00
8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00	गुनीम,लेखाकार, सीपर	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10635.00	420.57	421.00
9522.00	368.23	2200.00	84.67	11722.00	450.84	451.00	रोलर्स,मिस्त्री, पाईन्टर्स	9522.00	368.23	2500.00	96.15	12022.00	462.38	462.00
9735.00	374.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00	उच्च कुशल	9735.00	374.42	2500.00	96.15	12235.00	470.57	471.00
10155.00	390.57	2200.00	84.62	12355.00	475.19	475.00	कटर्स	10155.00	390.57	2500.00	96.15	12655.00	486.73	487.00

## स्पष्टीकरण-

- (1) मजदूरी निर्धारण में दैनिक वेतन को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। किराया के परिचय क्रमांक एक 9-7/2006/निगम/कां. दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 60 पैसे अथवा उसके अधिक पैसे हो लो, उन्हें अपने उच्चांतर रूपों में पूर्णकिय किया जायेगा और 60 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (2) अनुसूचित श्रमिकों के लिए दर्राई गई वेतन दरों पर लेकर मजदूरी निर्धारण द्वारा निर्धारित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिक भारतीय उपरोक्त मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से सितम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होती उसी अनुपात में उपरोक्त मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल ए। 1 अक्टूबर तारीखी की स्थिति हो प्रतिमाह प्रतिमाह 25 रुपये की वृद्धि से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता अधिक किया जायेगा।
- (3) इस प्रकार अधिकृत न्यूनतम वेतन की दरों का प्रदर्शन किस्ती की दरों का प्रदर्शन वेतन प्रतिदिन, 1948 की धारा 2(1-ए) नहीं की जायेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसकी समकक्षा नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन प्रतिदिन, 1948 की धारा 2(1-ए))

( डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत )

श्रमआयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

### अनुसूची - स

#### किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आकड़े रुपये में)

न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षा दरें	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता	सुल वेतन	सुल वेतन		प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	प्रतिदिन	सुल वेतन	सुल वेतन कर देयिक दरें
			सुल वेतन	सुल वेतन													
6500.00	324.42	1900.00	73.08	8400.00	323.07	323.00	अक्षुण्ण	6500.00	324.42	2200.00	84.61	8700.00	334.04	335.00			
8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00	श्रेणी एक	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00			
7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	2500.00	96.15	9657.00	367.57	368.00			
8435.00	324.42	2200.00	84.62	11935.00	459.03	459.00	उच्च कुशल	8435.00	324.42	2500.00	96.15	12235.00	470.58	471.00			
9685.00	372.50	2200.00	84.62	11885.00	457.11	457.00	कुशल श्रेणी	9685.00	372.50	2500.00	96.15	12185.00	468.05	469.00			
9378.00	360.89	2200.00	84.62	11578.00	445.30	445.00	श्रेणी एक	9378.00	360.89	2500.00	96.15	11878.00	456.84	457.00			
8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00	श्रेणी दो	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00			
8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00	अर्द्ध-कुशल	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00			
8435.00	324.42	2200.00	84.62	10635.00	409.03	409.00	अनिक	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00			
7057.00	271.42	2200.00	84.62	9257.00	356.03	356.00	श्रेणी दो	7057.00	271.42	2500.00	96.15	9657.00	367.58	367.00			

#### स्पष्टीकरण-

- (1) सचद्वारी नियुक्ति में पैसे तथा रुपये के मुल्योंको जो शल्लभ अथ अकड़े की दैनिक एवं मासिक सचद्वारी नियुक्ति की जायेगी। जिस नियम के परिचय क्रमांक एक 9-7/2006/नियम/आ. दिनांक 20 फ़रवरी, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अपने उचित रूप में पूर्णतः किया जायेगा और 50 पैसे से कम प्रति को छोड़ दिया जायेगा।
- (2) सचद्वारी नियुक्ति के लिए दर्राई एवं वेतन दरें पर लेबर यूसुअर रिजल्ट द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक श्रेणियों के लिए अधिकारितात्मक मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आकड़ों के औसत पर आधारित है। 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 घण्टे में जो औसत रुद्रि होगी उसी अनुपात में उपरोक्त मूल्य सूचकांक में रुद्रि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी तिथि को प्रतिशत प्रतिशत 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता जोड़ा किया जायेगा।
- (3) इस प्रकार अधिवृत्ति न्यूनतम वेतन की दरों का प्रदान किसी भी कर्मचारी पर प्रतिशत प्रमाण नहीं रहेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की दरें अधिक है, तो वह किसी भी दर से कम नहीं की जायेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दरें उलार्ड समाप्त नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1)-(4))

( डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत )

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

**अनुसूची - क**

मध्यप्रदेश के विभिन्न शासकीय विभागों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों एवं कर्मचारियों के मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई मल्ला सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)

न्यूनतम वेतन की दरें	परिवर्तनशील महंगाई मल्ला		कुल वेतन	रूपये में राउण्ड अप एवं मर दैनिक दरें प्रतिदिन	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील महंगाई मल्ला		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दरें		
	प्रतिमाह	प्रतिदिन				प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन			
14	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6500.00	216.66	1900.00	63.33	8400.00	280.00	290.00	अकुशल	6500.00	216.66	2200.00	73.33	8700.00	290.00	290.00
7057.00	235.33	2200.00	73.33	9257.00	308.56	309.00	अर्धकुशल	7057.00	235.23	2500.00	83.33	9557.00	316.56	319.00
8435.00	281.16	2200.00	73.33	10635.00	354.49	354.00	कुशल	8435.00	281.16	2500.00	83.33	10935.00	364.50	365.00
9735.00	324.50	2200.00	73.33	11935.00	397.83	398.00	उच्चकुशल	9735.00	324.50	2500.00	83.33	12235.00	407.83	408.00

स्पष्टीकरण-100X5

- (1) गजदूरी नियंत्रण में वही तथा रूपये के मुद्रांक को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक गजदूरी निर्धारित की जावेगी। जिस नियम के परिचय क्रमांक एफ 9-7/2006/विपम/वार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अपने उच्चतर क्रम में पूर्णकियत किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- (2) अकुशल श्रमिकों के लिए दरवाई नई वेतन दरों पर लेबर ग्युड विल्ला द्वारा निर्दिष्ट औद्योगिक श्रमिकों के लिए अधिकृत मासिक वेतन 253 (2001-000) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 तक अकार्यान्वितों के जीवन पर आधारित है। 253 सुधारका को उभर प्रति 6 माह में जो औद्योगिक बुद्धि होगी उसी अनुपात में उपरोक्ता मूल सुधारका में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर तारीखों की स्थिति को प्रतिबिम्बित प्रतिमाह 25 रुपये के हिसाब से परिवर्तनशील महंगाई मल्ला जोड़ित किया जायेगा।
- (3) इस प्रकार अधिकृत न्यूनतम वेतन की दरों का प्रारंभ किसी भी कर्मचारी पर प्रतिगुल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पूर्णकियत दरों से अधिक हैं तो यह किसी भी दरता में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उपाह संसाधन नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 12(1)-(2))

( डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत )

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 2/1/अन्वे./पांच/2015/10152-351,

इन्दौर, दिनांक 11/4/2021

अधिसूचना

मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सह पठित मध्यप्रदेश श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/18-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त म.प्र. ऐतद् द्वारा अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात किया गया। जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये निम्नानुसार घोषित करता हूँ:-

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जुलाई	1021
अगस्त	1026
सितम्बर	1037
अक्टूबर	1052
नवम्बर	1060
दिसम्बर	1047
<b>औसत सूचकांक</b>	<b>6243÷6= 1040.50 (1041)</b>

तथा इनका औसत 1041 घोषित करता हूँ। जो कि परिशिष्टित नियोजन के श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसमें कि श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (बी)-1-2014-ए-सोलह दिनांक 4.3.2014 ( मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 ) द्वारा 1.04.2021 से 30.09.2021 तक परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय है।

  
(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर  
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये 01/04/2021 से 30/09/2021 तक की अवधि हेतु परिवर्तनशील महगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(बी)/1-2014-ए सोलह दिनांक 4.3.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं श्रमिकों के लिये पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 2/11/अन्वै/पाच/2015/—  
10152-351 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार कृषि नियोजन में जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1041 रहा है। गत छः माही का औसत 1014 रहा था, अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1014 के ऊपर (1041-1014)=27 बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजन में परिवर्तनशील महगाई भत्ता रु. 6 प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से (27X6) =162.00 रुपये प्रति माह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (1041-768)=273 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील महगाई भत्ते की कुल राशि रुपये (273X6)=1638.00 प्रतिमाह या प्रतिदिन (1638÷30)= रु.54.60 यानी प्रतिमाह महगाई भत्ते सहित देय वेतन 5350+1638=6988.00 तथा 6988÷30 रुपये 233.00 प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है। (अनुसूचि द)

**अनुसूची - द  
कृषि में नियोजन**

**मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें जिसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता सम्मिलित है। (आंकड़े रूपयों में)**

न्यूनतम वेतन की दरें	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपयों में		शतशत अप		रूपयों में					
	महंगाई भत्ता	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	न्यूनतम मूल वेतन	परिवर्तनशील महंगाई भत्ता	महंगाई भत्ता	कुल वेतन	शतशत अप	दैनिक दरें	शतशत अप	कुल वेतन				
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन				
5350.00	178.33	1476.00	49.20	6926.00	227.53	228.00	228.00	5350.00	178.33	1638.00	54.60	6988.00	232.93	233.00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>दिनांक 1.10.2020 से 31.03.2021 तक</b>														
<b>1.04.2021 से 30.09.2021 तक</b>														
कृषि														
श्रमिक														

**स्पष्टीकरण- परिवर्तनशील महंगाई भत्ता :-**

- (1) न्यूनतम वेतन की दरें तथा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता, जो लेबर अथवा श्रमिकों द्वारा निर्मित अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपमोक्षा मूल्य सूचकांक 768 (1986-87-100) जनवरी से जून, 2014 के आधार आंकड़ों के औसत के उपर प्रति 6 माह में हुई औसत वृद्धि के अनुपात में 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 08 रूपयों (8 रूपयों) के मान से देय होगा। 01 अप्रैल से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। इसी प्रकार 01 अक्टूबर से देय परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना गत जनवरी से जून तक छ. माह के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी, जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत नियुक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित की जावेगी।
- (2) मासिक वेतन में दोष तथा रूपयों के गुणकों को शतशत अप करने ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एक मजदूरी निर्धारण में दोष तथा रूपयों के गुणकों को शतशत अप करने ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एक 9-7/2006/नियम/चार दिनांक 20 सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपयों में पूर्णगणित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।
- (3) मासिक वेतन पर नियुक्त किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 30 से भाग देकर समगणित किया जावेगा।
- (4) अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिफल प्राप्त नहीं करेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पूर्णगणित दर से अधिक हैं। तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 1948 की धारा (1-ए))
- (5) इस अधिसूचना के अन्तर्गत वेतन दरें महिला एवं पुरुषों के लिए एक समान नियत हैं।
- (6) कृषिनियोजन के अतिरिक्त सभी नियोजनों के लिए निर्धारित की न्यूनतम वेतन दरों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का 11) की धारा 13 की उपधारा (1) के शतशत (ख)के अधीन परिकल्पित विधे अपुस्तार विश्राम दिवस के संबंध में पारिभाषिक सम्मिलित है।

  
(**अ. विरेन्द्र सिंह रावत**)

श्रमआयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर



**श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर**

क्रमांक: 3/11/अन्व./पांच/2015/10352-551,


इंदौर, दिनांक 11/4/2021

**अधिसूचना**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4 (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद् द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इंदौर विगत जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिये सूचकांको में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2020	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1960=100)
1. जनवरी	7532.55
2. फरवरी	7486.90
3. मार्च	7441.24
4. अप्रैल	7509.72
5. मई	7532.55
6. जून	7578.20
7. जुलाई	7669.50
8. अगस्त	7715.15
9. सितम्बर	7757.10
10. अक्टूबर	7855.76
11. नवम्बर	7882.03
12. दिसम्बर	7809.74
<b>औसत</b>	<b>91770.44÷12=7647.53 औसत (7648)</b>

तथा उक्तानुसार इनका औसत 7648 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित श्रमिकों के लिये वार्षिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग 4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता बीडी श्रमिकों को दिनांक 01/04/2021 से 31/03/2022 तक देय रहेगा।

  
(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,  
मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीकित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है। जो दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक देय है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ/पांच/15/10352-551 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 7848 रहा है, इस तरह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के आधार आंकड़ों के औसत के ऊपर (7848-5299=2349 पाइंट) 2349 औसत बिंदुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन के लिये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 1 पैसे प्रति बिंदु प्रति हजार बीड़ी के मान से रुपये 23.49 परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 तक देय होगा।

(अनुसूची - ई)

किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन

कर्मचारियों का बग	न्यूनतम वेतन की पुनरीकित दरें परिवर्तनशील	मंहगाई भत्ते की दर	कुल वेतन
1	2	3	4
1. बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बनाने के लिए)	74.00	23.49	रु 97.49 किसी सप्ताह में प्राप्त होने वाले वेतन का योग रुपये 515.00 से कम हो तो उसे इस अधिसूचना के परिशिष्ट में बताई गई शर्तों के अनुसार कम से कम रु 515.00 का भुगतान उस सप्ताह में किया जावेगा

नोट- एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता 97 रुपये 49 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोनस पेटे 8 रुपये 54 पैसे (प्रतिशत 8.33), अर्जित अवकाश के एवज में नगद भुगतान 4 रुपये 87 पैसे (प्रतिशत 5) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदान 10 रुपये 24 पैसे (प्रतिशत 10) इस प्रकार कुल 121 रुपये 14 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 20.48 की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 1.04.2021 से 31.03.2022 की अवधि में श्रमिकों से 10 रुपये 24 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 10 रुपये 24 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 100 रुपये 66 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

2.

**रिलाई श्रमिक****अ. बीड़ी के कट्टों पर झिल्ली लगाना**

1. लेबल चिपकाने तथा पूडों को बनाने या चिपकाने संबंधी कार्य	रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 75.88
2. यदि कट्टे पर दोनों ओर लेबल लगाया जाता है	रुपये 58.26 प्रति 1000 कट्टों पर	रु. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 79.75

**ब. झिल्ली पर लेबल लगाने संबंधी कार्य**

1. झिल्ली पर लेबल लगाना	रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 23.49 (02 पैसे प्रति दो हजार)	रुपये 89.44
2. झिल्ली लगाना	रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 17.81 (03 पैसे प्रति चार हजार)	रुपये 51.15
3. लेबल लगाना	रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 5.87 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 18.71
4. पूडा बनाना या चिपकाना	रुपये 13.25 प्रति एक हजार कट्टों पर	रु. 5.87 (02 पैसे प्रति आठ हजार)	रुपये 19.12

**स. एक हजार कट्टों पर जबकि 25 बीड़ियों का कट्टा हो**

1. आडी तथा खडी पट्टी लगाने का कार्य हो	रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 286.60
2. झिल्ली आडी तथा खडी लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 307.55
3. झिल्ली तथा नक्शी झिल्ली लगाने का कार्य हो	रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर	रु. 93.96 (04 पैसे प्रति लाख बीड़ी पर)	रुपये 307.55

नोट- बीड़ी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों जैसे, बीड़ी छाटने तथा जांच करने वाले, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने वाला, भट्टी वाला रसोईया, ड्रायवर (भारी वाहन), हल्का वाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम्, कैशियर, गोडाउनकीपर, स्टोरकीपर टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क, मूल्य, धौकीदार के वेतन न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत समय समय पर निर्धारित कुशल, अर्द्धकुशल और अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के वेतन के अनुसार नियमित होंगे।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारों का दर्गीकरण निम्नानुसार किया जायेगा।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मकारों का वर्गीकरण निम्नानुसार किया जावेगा।

- 1- कुशल:- ड्रायवर (मालक) (भारी वाहन), एकाउटेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, हेडक्लर्क, गोडाउन कीपर
- 2- अर्धकुशल:- बीडी छांटने तथा जांच करने वाला, भट्टीवाला, रसोइया, ड्राईवर (हल्का वाहन) टाईपिस्ट, बिलमेन, क्लर्क



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948


के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)**

**Effective from 1/04/2021 to 31/3/2022**

**V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2021**

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variabie Dearness Allowance	23.49
3.	Leave with Salary ( @5% of total wages)	4.87
4.	Total Wages	102.36
5.	Bonus ( @ 8.33% of Total Wages)	8.54
6.	P.F. contribution of employeer ( @ 10% of total wages)	10.24
7.	Total wages +Bonus+PF Contribution)= Less Contibution of employer (-)	121.14
8.	Total Wages+Bonus	110.90
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	10.24
10.	Net Payable to Beedi Roller	100.66

  
 (Dr. Virendra singh Rawat)  
 Labour Commissioner  
 Madhya Pradesh, Indore

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 3/11/अन्वे./पांच/2015/10552-751


इन्दौर, दिनांक 1/4/2021

अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 4 (2) अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद द्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर मैं, डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर दिनांक जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के माहों के लिए सूचकांकों में निम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रकाशित करता हूँ :-

माह/वर्ष 2020	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
जुलाई	336.00
अगस्त	338.00
सितम्बर	339.84
अक्टूबर	344.16
नवम्बर	345.31
दिसम्बर	342.14
(औसत)	2045.45÷6=340.91(341)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 341 घोषित करता हूँ। जो कि किसी तम्बाकू (जिसमें बीडी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए मासिक औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (मेन्चुअल एचरेज कास्ट आफ लीविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी)1-2013-ए-सोलह दिनांक 08.12.2014 (म.प्र. राजपत्र में भाग4(ग) दिनांक 12 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय रहेगा।

  
 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इन्दौर  
 तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4 (सी)-ए-94-16-ए दिनांक 5.6.97 (म.प्र. राजपत्र दिनांक 7.6.97) एवं श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013 दिनांक 8.12.2014 (म.प्र. राजपत्र भाग (ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014) के अंतर्गत किसी तंबाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्मिलित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबद्ध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 3/11/अ./पांच/2015.....  
10552-751 दिनांक 14.4.2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिलभारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 341 रहा है। गत छः माही का औसत 329 रहा था अतः इसके कारण गत छः माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर  $(341-329)=12$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है जिसके परिणाम स्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक वेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 25/- प्रति बिन्दु प्रतिमाह के मान से रुपये  $25 \times 12 = 300.00$  प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुरार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 239 (2001 = 100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $341-239=102$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रुपये  $25 \times 102 = 2550.00$  प्रतिमाह या  $2550 \div 26 = 98$  रुपये 07 पैसे प्रतिदिन। प्रतिमाह 7625.00 रुपये या  $7625 \div 26 = 293$  रुपये 27 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।

बीडी निर्माण के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.04.2021 से 30.09.2021 तक निम्नानुसार देय है—

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये राउण्डअप में
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1.	तम्बाकू तथा तेन्दूफत्ता देने या बीड़िया प्राप्त करने एवं उसकी छटनी करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तम्बाकू मिश्रण तथा छानने का कार्य करने के लिए भट्टी वाला रसोईया, वाहन, ड्रायव्हर (घालक) हल्के वाहन, टायरिस्ट, वर्लक, बिलमेन	5075.00	195.00	2550.00	98.07	7625.00	293.26	293.00
2.	ट्रक में माल चढ़ाने या उतारने या बीड़ियों व पूड़ों को भरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूत्य, चौकीदार,	4945.00	190.00	2550.00	98.07	7495.00	286.26	288.00
3.	ड्रायव्हर (घालक) भारीवाहन, एकाउन्टेन्ट, मुनीम, केशियर, स्टोरकीपर, गोडाउन कीपर, हेडवर्लक	5225.00	200.96	2550.00	98.07	7775.00	299.03	299.00

### स्पष्टीकरण

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणाकों को राउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
3. परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता उपरोक्त अनुसूची (ई) के स्तंभ तीन में लेबर ब्यूरो, शिमला द्वारा निर्मित ओद्योगिक श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, 5635 (2001=100) पर आधारित है। 5635 सूचकांक के उपर प्रति एक वर्ष में जो औसत वृद्धि होगी, उसी अनुपात में अनुसूची के स्तंभ क्रमांक 4 में वृद्धि दिनांक 1 जनवरी से की जावेगी, और स्तंभ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में



हुई यह वृद्धि परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मानी जावेगी। एक जनवरी से देय परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की वृद्धि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजपत्र में समय समय पर प्रकाशित की जावेगी।

4. निर्धारित मासिक वेतन कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जायेगा।
5. जहां नियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीडी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाखु तैदूपत्ता, धागा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाता, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीडी के लिये देय वेतन तथा विशेष मंहगाई भत्ता प्रति सप्ताह जिसे आगे गारंटेड वेज कहा जायेगा प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
6. गारंटी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके नियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई गई बीडी का जो वेतन अर्जित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
7. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारंटेड वेज की राशि से कम वेतन अर्जित करता है, तो कर्मचारी गारंटेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
8. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्रा यद्यपि वह 5600 बीडिया सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाता है तो वह गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
9. आग, विपत्ति, महामारी, असेनिक क्षौभ या इसके समान अन्य स्थिति में जो नियोजक के नियंत्रण के बाहर है यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारंटी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

  
 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 4/11/अन्वे./पांच/2015/16752-95/

इंदौर, दिनांक 1/4/2021

अधिसूचना

अगरबत्ती उद्योग

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर को मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82 दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये एतद द्वारा अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत शासन के लेबर ब्यूरो, शिमला से ज्ञात कर, मैं डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश, इंदौर दिनांक जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता हूँ -

माह/ वर्ष 2020	अखिल भारतीय अगरबत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जुलाई	336.00
अगस्त	338.00
सितम्बर	339.84
अक्टुबर	344.16
नवम्बर	345.31
दिसम्बर	342.14
(औसत)	2045.45÷6=340.90 (341)

अतः दिगत छ माही का औसत 341 घोषित करता हूँ जो कि अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये निर्वाह व्यय सूचकांक (कास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नम्बर) रहेगा। इस आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 4 ( सी ) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर

तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948

के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की सगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप  
अगरबत्ती उद्योग

श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 4(सी) 1-2013-ए-सोलह दिनांक 29/09/2014 एवं श्रम विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4 (ग) दिनांक 10/10/2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 10/10/2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

श्रमायुक्त कार्यालय मध्यप्रदेश शासन, इंदौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्व./पाव/2015/10752-951 दिनांक 1/4/2021 के अनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 341 रहा है। गत छ माही का औसत 329 रहा था अतः इसके कारण गत छ माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता के औसत के ऊपर  $(341-329)=12$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप अगरबत्ती नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्त रुपये 25 प्रतिबिन्दु प्रतिमाह के मान से  $(25 \times 12)=300.00$  प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता में वृद्धि  $(341-241)=100$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि  $(25 \times 100)=2500.00$  प्रतिमाह या  $(2500 \div 26)=96$  रुपये 15 पैसे प्रतिदिन दिनांक 1.04.2021 से 30.09.2021 तक देय है इसी तरह प्रति एक हजार अगरबत्ती रोल करने पर (100 पैसे प्रति 4000) के मान से अर्थात् 25 पैसे प्रति हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु 100 पर  $(100 \div 4=25.00)$  25.00 रुपये परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक 1.04.2021 से 30.9.2021 तक देय है।

**अनुसूची एफ**

**अगरबत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	न्यूनतम वेतन
अ. अगरबत्ती रोलर्स (1000 अगरबत्ती रोल करने पर) साधारण	21.40	(रु. 25.00) 100 पैसे प्रति 4 हजार (25 पैसे प्रति बिन्दु)	रुपये 46.40
ब. सुगंधित(सेंटेड)	22.00	(रु. 25.00) 100 पैसे प्रति 4 हजार (25 पैसे प्रति बिन्दु)	रुपये 47.00

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12 (1-ए))

(आ) निम्न वजन के अनुसार अगरबत्ती गिनना, बटर पेपर की झिल्ली लपेटना, खाली पकेट में भरकर पकेट के दोनों ओर घिट लगाकर पैकेट बंद करना।

बिना सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	20.48	(रु.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रु.40.48
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.34
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.34
4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	27.23	(रु.25.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	52.23
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	36.58	(रु.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	69.58
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	41.54	(रु.40.00) 100 पैसा प्रति 250 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	81.54
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु.40.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	83.12
8. 200ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	52.76	(रु. 50.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	102.76

सिलोफेन या जिलेटन के

1. 10 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	21.34	(रु.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.34
2. 20 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु.25.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	51.60
3. 30 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	33.00	(रु.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	66.00

4. 40 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	34.48	(रु.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	67.48
5. 70 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	37.03	(रु.33.00) 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	70.03
6. 80 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	43.12	(रु.40.00) 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	83.12
7. 100 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	51.00	(रु.50.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	101.00
8. 200 ग्राम वजन के	प्रति सैकड़ा	54.47	(रु.50.00) 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	104.47

(इ) निम्नानुसार पुंगली बनाकर पैक करना निम्न संख्या में अगरबत्तियों को गिनकर झिल्ली लपेटना, पुंगलियों में भरना, लेबल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बंदकर चीट लगाना.

दिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	16.98	(रु.17.00) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	33.98
2. 12 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	17.80	(रु.17.00) 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	34.80
3. 23 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	21.30	(रु.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	41.30
4. 50 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	22.19	(रु.20.00) 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	42.19

5. 100 अगारबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	26.60	(रु.25.00.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	51.60
6. 200 अगारबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	28.70	(रु.25.00) 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	53.70

(ई) सादे लिफाफे में अगारबत्ती रखकर बन्द करना

1. 5 अगारबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	3.85	(रु.4.00) 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति बिन्दु)	7.85
2. 10 अगारबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा	4.44	(रु.5.00) 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति बिन्दु)	9.44
3. पुंगली बनाने के कगज(रोलिंग पेपर्स)	प्रति 1000	36.34	(रु.7.00) 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति बिन्दु)	43.34

**कर्मचारियों का वर्ग (मासिक दर) न्यूनतम मजदूरी**  
1.04.2021 से 30.09.2021 तक

क्र	कर्मचारियों का वर्ग	मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		राज्य अप में दैनिक दर प्रतिदिन
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
1.	पुछा बनाने वाला, मसाला भरने वाला भृत्य, धौकीदार	5939.00	228.42	2500.00	96.15	8439.00	324.57	325.00
2.	टाईपिस्ट, क्लर्क, पेटी भरनेवाला मसाला तोलने वाला	7057.00	271.42	2500.00	96.15	9557.00	367.57	368.00
3.	एकाउंटेंट, केशियर, गोडाउनकीपर, मिस्त्री, ड्राईवर, पेट्रीबनाने वाला	8435.00	324.42	2500.00	96.15	10935.00	420.57	421.00

**नोट:-** अगरबत्ती उद्योग से संबद्ध कर्मचारी जैसे पेट्री बनाने वाला, मिस्त्री, ड्राईवर, पेट्री भरने वाला, मसाला तोलनेवाला, अकाउंटेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाईपिस्ट, क्लर्क, भृत्य आदि की दैनिक या मासिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन, कुशल अर्धकुशल एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

**स्पष्टीकरण**

1. मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को राज्य-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))

2. अनुसूची के कॉलम 2 में उपदर्शित न्यूनतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता (व्ही.डी. ए) जनवरी, 2014 से जून 2014 में औसत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कॉलम 3 में उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिबिंदु सम्मुख अंकित किये गये अनुसार दर से तथा मासिक दर पर

कार्यरत कर्मचारियों के लिये रुपये 25.00 प्रति बिंदु प्रति माह की दर से सदेय होगा। जिसकी गणना प्रत्येक छः माह जुलाई से दिसंबर तथा जनवरी से जून जैसी भी स्थिति हो, के औसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमशः 1 अप्रैल तथा 1 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तनशील महंगाई भत्ता न्यूनतम वेतन का भाग होगा। उक्त औसत सूचकांक न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो वह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं की जावेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपधारा(1) के खड (ख) के अधीन परिकल्पित किये गये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
4. निर्धारित मासिक मजदूरी कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगी, जहां मजदूरी की मासिक दर नियत की गई है। वहां यदि एक दिन की मजदूरी संगणित की जानी हो, तो मासिक मजदूरी को 26 से भाग देकर अभिप्राप्त की जावेगी, जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की धारा 13 में बताये गये अनुसार विश्राम दिवस का पारिश्रमिक भी सम्मिलित होगा।



(डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)

श्रम आयुक्त,

मध्यप्रदेश, इंदौर



श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 5/11/अन्व./पांच/2015/10952-11/51,


इंदौर, दिनांक 1/4/2021

प्रतिलिपि-

1. उपनियंत्रक शासकीय प्रादेशिक मुद्रणालय, ग्वालियर, मध्यप्रदेश की ओर अधिसूचना की प्रति भेजते हुए कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपत्र के आगामी अंक के भाग 3 (1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. राहत आयुक्त, वल्लभ भवन, भोपाल.
3. आयुक्त, जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निशुल्क प्रकाशनार्थ अग्रेषित.
4. केंद्र निदेशक, आकाशवाणी केंद्र, इंदौर की ओर प्रसारण हेतु अग्रेषित.
5. उपसंचालक, जनसंपर्क विभाग इंदौर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.
6. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित.
7. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग भोपाल की ओर उनके पत्र क्रमांक 303/आर/577/92/नि-514 दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
8. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
10. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग भोपाल.
11. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल.
12. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कृषक कल्याण विकास, भोपाल.
13. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत शाखा)
14. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग, भोपाल.
15. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पुनर्वास विभाग, भोपाल.
16. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, भोपाल.
17. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल.
18. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, भोपाल.
19. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल.
20. सचिव, लोक सेवा आयोग, म.प्र. इंदौर.
21. सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल
22. महालेखाकार, प्रथम एवं द्वितीय, मध्यप्रदेश, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ,
23. समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश.
24. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
25. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश
26. संचालक, कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
27. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल.
28. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भोपाल.
29. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल .
30. प्रमुख वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल.
31. उप श्रमायुक्त, इन्दौर/भोपाल.

32. संचालक/समस्त संयुक्त/उप/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश, इंदौर.
33. समस्त सहायक श्रमायुक्त, म.प्र.
34. समस्त श्रम पदाधिकारी, म.प्र.
35. प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखायें, मुख्यालय, इंदौर .
36. सचिव, म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, 82, हर्षवर्धन नगर, भोपाल.
37. कल्याण आयुक्त, म.प्र. श्रम कल्याण मण्डल, 83, मालवीय नगर, भोपाल
38. सचिव, म.प्र. स्लेट पेन्सिल कर्मकार कल्याण मंडल, मन्दसौर
39. सचिव, म.प्र. शहरी एवं ग्रामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल
40. लेबर ब्यूरो, शिमला, (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत कृषि नियोजन में न्यूनतम वेतन परिवर्तन शील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील कराने के लिये विकासखंड स्तर पर पदस्थ श्रम निरीक्षकों को संबंधित प्रभारी अधिकारी, आवश्यक निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रदान करें।

  
 (डॉ. विरेन्द्र सिंह रावत)  
 श्रम आयुक्त,  
 मध्यप्रदेश, इंदौर

શ્રમ આયુક્તની કચેરી.

ISO 9001:2015

ગુજરાત રાજ્ય,

બ્લોક નં-૧૧, ૧૨ અને ૧૪,

ઉદ્યોગ ભવન, બીજો માળ,

સેક્ટર-૧૧,

ગાંધીનગર.

ફોન. ૦૭૯૨૩૨૫૭૫૩૯ ફેક્સ ૦૭૯૨૩૨૫૭૫૧૩

Web: www.col.gujarat.gov.in

Office of Labour Commissioner,

ISO 9001:2015

Gujarat State,

Block No. 11, 12 & 14,

Udhyog Bhavan, 2<sup>nd</sup> Floor,

Sector-11,

Gandhinagar-382011,

Phone 07923257539 Fax- 07923257513

Web:www.col.gujarat.gov.in

ક્રમાંક: શ્ર.આ. ૬/ટે.૨/૧૧૪ શી /૨૦૨૧

તારીખ: ૧૦/૦૪/૨૦૨૧

પ્રતિ,

(૧) અધિક શ્રમ આયુક્તશ્રી, ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર.

(૨) નાયબ શ્રમ આયુક્તશ્રી અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત, રાજકોટ (તાબાની કચેરીઓને પરિપત્રિત કરવા સારૂ)

(૩) કચેરીની સર્વે શાખાઓ, ૧,૨,૩,૪,૫,૬,૭,૮,૯,૧૦,૧૧,૧૨,ખાસ સેલ, બી.ઓ.સી.ડબલ્યુ અને આઈ.ટી.સેલ.

(૪) શાખાની સિલેક્ટ કાઈલ/ પરિપત્ર કાઈલ

શ્રમ આયુક્ત,

ગુજરાત રાજ્ય, ગાંધીનગર

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળના ખાસ ભથ્થાની જાહેરાત.

લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮ હેઠળ સરકારશ્રીએ જે તે વ્યવસાય માટે નિયત કરેલ મૂળ પગારના દર ઉપરાંત જીવન નિર્વાહ આંક ઉપર આધારિત આપવાના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર હવે તા.૦૧-૦૪-૨૦૨૧ થી તા.૩૦-૦૬-૨૦૨૧ સુધીના સમય માટે નીચે મુજબ રહેશે.

ક્રમ	અનુસૂચિત રોજગારી/વ્યવસાય	ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર (રૂ. પૈસા)
૧	શીપ બ્રેકીંગ તથા સ્વીચીંગ અને કલીનીંગ કામની રોજગારી(વ્યવસાય)	રૂ.૭૭.૬૦ પૈસા
૨	અનુ. નં ૧ અને અગરબત્તી બનાવવાની રોજગારી સિવાયની દરેક રોજગારી (વ્યવસાય)	રૂ.૭૨.૨૦ પૈસા

આમ, અનુ. નં ૧ અને ૨ ની સામે દર્શાવેલ વ્યવસાયોમાં ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાનના ખાસ ભથ્થાના દૈનિક દર જાહેર કરવામાં આવે છે.

નાયબ શ્રમ આયુક્ત  
અને લઘુત્તમ વેતન અધિનિયમ, ૧૯૪૮  
અન્વયેના સહાય અધિકારી, ગાંધીનગર

## **PRESS NOTE**

The Commissioner of Labour, Telangana, Hyderabad, and the Competent Authority under the Minimum Wages Act, 1948, has declared the average State Industrial Workers Consumer Price Index Numbers for the half year ending Dec, 2019, **as 1595 points (Base year 1982=100 series) for Industrial Workers under Part-I and 1178 points (Base year 1986=100 series) for Agricultural Workers under Part-II which are applicable for the period from 01.04.2021 to 30.09.2021** in various Scheduled Employments notified under the Minimum Wages Act, 1948, in the State of Telangana for the purpose of calculation of Variable Dearness Allowance..

**Sd/- AHMAD NADEEM  
COMMISSIONER OF LABOUR**

*G. N. S. Rao*  
**Assistant Commissioner of Labour**

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत आवर्त अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता  
निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों को स्तम्भ-3 में सन्दर्भित शासनादेशानुसार अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के आधार पर माह जुलाई 2020 से अगस्त 2020 एवं अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2016=100 के आधार पर माह सितम्बर, 2020 से दिसम्बर 2020 के अंक 301 के ऊपर वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ते को रू0 20 प्रति अंक की दर से समायोजित किये जाने का प्राविधान है। तदनुसार जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत सूचकांक 341 पर दिनांक 01-04-2021 से 30-09-2021 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत होगा :-

$$(341-301) \times 20 = 800.00$$

अनुसूचित नियोजनों की तालिका

क्र0 सं0	अनुसूचित नियोजन का नाम	अधिसूचना संख्या एवं दिनांक	अधिसूचना में उल्लिखित सभी श्रेणी के कर्मचारियों को देय परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता रू0
1	2	3	4
1.	वाणिज्य अधिष्ठानों और उत्तराखण्ड में दुकानों के नियोजन	309/VIII/19-228 (श्रम) /2001- पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
2.	सडकों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने या निर्माण सक्रियाओं में नियोजन	310/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
3.	पत्थर तोड़ने या पत्थर कूटने में नियोजन।	311/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
4.	चिकन के कार्य में नियोजन।	तदैव	800.00
5.	दियासलाई उद्योग में नियोजन।	तदैव	800.00
6.	आइसकैन्डी/आईस्क्रीम विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	800.00
7.	बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	800.00
8.	बर्फ विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	800.00
9.	एस्बेस्टस सीमेंट कारखानों और अन्य सीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशालाओं में नियोजन	तदैव	800.00
10.	लाण्डी या धुलाई अधिष्ठानों में नियोजन	तदैव	800.00
11.	जिल्दसाजी में नियोजन।	तदैव	800.00
12.	कोल्ड स्टोरेज में नियोजन।	तदैव	800.00
13.	पाटरी सिरेमिक्स या रिफरैक्ट्रीज में नियोजन	तदैव	800.00
14.	रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पादन (जिसके अन्तर्गत टायर और ट्यूब भी हैं) के उद्योग में नियोजन	312/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00

15.	प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पादन के उद्योग में नियोजन	तदैव	800.00
16.	मिश्राण उद्योग में नियोजन	तदैव	800.00
17.	वाशित पेयों (एस्टेट ड्रिक्स) के विनिर्माण में नियोजन	तदैव	800.00
18.	फलों के रसों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	800.00
19.	परतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग में नियोजन	तदैव	800.00
20.	पेट्रोल और डीजल आयल पम्प में नियोजन	तदैव	800.00
21.	डेरी और मिल्क डेरीज में नियोजन	तदैव	800.00
22.	सिले सिलाए कपड़ों की विनिर्माणशाला में नियोजन	तदैव	800.00
23.	बाघ तटबन्ध के निर्माण और अनुरक्षण सिंचाई परियोजनाओं, कुओं और तालाबों की खुदाई में नियोजन	तदैव	800.00
24.	प्राइवेट क्लोनिक और चिकित्सा सामान की प्राइवेट दुकानों में नियोजन	तदैव	800.00
25.	फाउण्ड्री उद्योग में नियोजन	तदैव	800.00
26.	धातु उद्योग में नियोजन	तदैव	800.00
27.	टिन प्लेट शीपिंग और टिन प्रिंटिंग उद्योग में नियोजन	तदैव	800.00
28.	ऐसे अभिनियंत्रण उद्योग में नियोजन जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हो।	तदैव	800.00
29.	उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।	तदैव	800.00
30.	कपड़ा छपाई में नियोजन	313/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
31.	कलबों में नियोजन	314/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
32.	निजी मुद्रणालयों में नियोजन	315/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
33.	लोक मोटर परिवहन में नियोजन	316/VIII/19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
34.	उत्तराखण्ड में यांत्रिक परिवहन कर्मशाला में नियोजन।	तदैव	800.00
35.	उत्तराखण्ड में आटोमोबाइल रिपेयर्स में नियोजन।	तदैव	800.00

(4)

51.	काष्ठ कार्य और फर्नीचर में नियोजन	330 / VIII / 19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
52.	तम्बाकू निर्माण में नियोजन	331 / VIII / 19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
53.	कालीन बुनाई में नियोजन	332 / VIII / 19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
54.	कपड़े धोने या प्रसाधन के साबुन, सिलिकेट या साबुन के चूर्ण या प्रक्षालक के निर्माण में नियोजन	333 / VIII / 19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00
55.	ऊनी कम्बल बनाने वाले अधिष्ठान में नियोजन	तदैव	800.00
56.	खाण्डसारी में नियोजन	तदैव	800.00
57.	हथकरघा उद्योग एवं शक्ति चालित करघा उद्योग में नियोजन	334 / VIII / 19-228 (श्रम) /2001-पार्ट-II, दिनांक : 08 मार्च, 2019	800.00

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड हल्द्वानी।

संख्या 1892

/4-01/13

दिनांक 7/4/2021

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर प्रतिपालन कराने का कष्ट करें, तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1- उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2- उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3- उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 4- उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंहनगर, विकास भवन परिसर, रूद्रपुर, ऊधमसिंहनगर।

(दीप्ति सिंह)

श्रम आयुक्त उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी।

## EMPLOYMENT IN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS

GO (2D) No.30, Labour & Employment (J 1) dated 29/05/2013

Notification No.II(2)/LE/472/2013, Published in Tamil Nadu Government Gazette, Part II Sec 2, dated 10/07/2013 at pages 467 to 469

### EXPLANATIONS:-

1. Dearness Allowance:  
In addition to the minimum rates of basic wages fixed herein, the employees shall be paid dearness allowance as indicated below :
  - (i) The Dearness Allowance is linked to the Average Consumer Price Index of Chennai City for the year 2000, that is, 475 points (with base 1982=100), and for any further rise of every one point over and above 475 points, an increase of ` 4.95 ( Rupees four and paise ninety five only) per month shall be paid as Dearness Allowance.
  - (ii) The Dearness Allowance shall be calculated every year on the 1<sup>st</sup> April on the basis of the average of the indices for the preceding 12 months, that is, from January to December, and.
  - (iii) The first calculation of the dearness allowance shall thus be effective from the date of publication of this notification in the Tamil Nadu Government Gazette based on the average of Chennai City Consumer Price Index for the previous year, that is from January to December.
2. Classification of Zones, shall be as follows :
  - Zone A : Corporations and Special Grade Municipalities
  - Zone B : Municipalities other than Special Grade Municipalities
  - Zone C : All Townships, Town Panchayats and Cantonments
  - Zone D : All places other than those mentioned in zones A,B and C
3. Where the nature of work is the same, no distinction in the payment of wages shall be made between men and women employees.
4. To arrive at daily rates of wages, the monthly wages shall be divided by 26.
5. Wherever the existing wages are higher than the minimum wages fixed herein such higher wages shall be continued to be paid

**Apart from the minimum rates of basic wages detailed herein the dearness allowance payable for the period from 10 / 07 / 2013 to 31 / 03 / 2014 shall be ` 2,450 pm.**

S.No	Classes of Employees	Minimum rates of basic wages per month ( ` )			
		Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
<b>I</b>	<b>General Categories</b>				
1	Manager				
2	Sales Manager				
3	Field Officer	2,921.00	2,883.00	2,844.00	2,814.00
4	Development Officer				
5	Office In-charge				
6	Assistant Manager				
7	Accountant				
8	Supervisor				
9	Sales Executive	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
10	Purchaser				
11	Store Keeper				
12	Agent				
13	Sales Promotion Employees				
14	Cashier				
15	Clerk				
16	Typist-cum-Clerk	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
17	Typist				
18	Stenographer				
19	Sales man				
20	Sales Representative				
21	Auction Bidder				



S.No	Classes of Employees	Minimum rates of basic wages per month (₹)			
		Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
<b>I</b>	<b>General Categories (continued)</b>				
22	Tradesman				
23	Bill Writer	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
24	Bill Collector				
25	Booking Clerk				
26	Bill Clerk				
27	Godown Keeper				
28	Assistant Salesman				
29	Godown in-charge	2,540.00	2,494.00	2,450.00	2,410.00
30	Accounts Assistant				
31	Receptionist				
32	Lineman				
33	Tally Clerk				
34	Security Guard				
35	Weighman				
36	Driver				
37	Peon				
38	Watchman				
39	Shop Assistant				
40	Helper				
41	Packer				
42	Attender				
43	Delivery Boy	2,494.00	2,450.00	2,402.00	2,359.00
44	Messenger				
45	Lift Operator				
46	Shop Boy				
47	Water Boy				
48	Sweeper				
49	Gardener				
50	Scavenger				
<b>II</b>	<b>Special Categories</b>				
<b>(1)</b>	<b>Chemists and Druggist Shop :</b>				
a	Pharmacist				
b	Chemist	2,921.00	2,883.00	2,844.00	2,814.00
c	Compounder	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
d	Hair Dresser				
E	Hair Cutter	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,484.00
F	Beautician				
<b>(3)</b>	<b>Photo Studios :</b>				
a	Photographer				
b	Photo Artist	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
c	Assistant Photo Artist				
d	Assistant Photographer	2,450.00	2,494.00	2,450.00	2,410.00
<b>(4)</b>	<b>Service Shops ( Watch / Radio / Bicycle :</b>				
a	Watch mechanic				
b	Radio Mechanic / Repairer	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
c	Audio and Vedeo Mechanic / Repairer				
d	Bicycle Fitter	2,494.00	2,450.00	2,402.00	2,359.00
<b>(5)</b>	<b>Optical Shops :</b>				
a	Optical Mechanic / Grinder / Purchaser				
b	Refractory Mechanic	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
<b>(6)</b>	<b>Block Making and Rubber Stamp Making :</b>				
a	Engraver				
b	Block Maker	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00

S.No	Classes of Employees	Minimum rates of basic wages per month ( ` )			
		Zone A	Zone B	Zone C	Zone D
II	<b>Special Categories (continued)</b>				
(6)	<b>Block Making and Rubber Stamp Making (continued):</b>				
c	Assistant Engraver	2,540.00	2,494.00	2,450.00	2,410.00
d	Painter / Artist	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
(7)	<b>Electrical Light and Sound Service Shop</b>				
a	Electrician / Wireman / Electrical Repairer	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
b	Assistant Wireman				
c	Mike Operator	2,540.00	2,494.00	2,450.00	2,410.00
(8)	<b>Diagnostic Laboratory :</b>				
a	Radiographer				
b	X-Ray Photographer	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
c	Laboratory Technician / Analyst				
(9)	<b>Chit Funds and Co-operative Societies :</b>				
a	Chief Accountant				
b	Office Superintendent	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
c	Secretary				
D	Auditor				
e	Personal Assistant				
f	Junior Development Officer	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
g	Legal Assistant				
(10)	<b>Boarding and Lodges :</b>				
a	Room Boy				
b	Canvassar	2,494.00	2,450.00	2,402.00	2,359.00
C	Mason				
d	Plumber	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
e	Painter				
f	Electrician				
(11)	<b>Furniture</b>				
a	Carpenter				
B	Polisher	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
c	Rattan Worker				
(12)	<b>Miscellaneous Workers :</b>				
a	Technician in Musical Instruments Shop				
b	Umbrella Fitting, Sticking and Cutting in Umbrella Shop				
c	Polisher in Auto-mobile Dealers Shop	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
d	Suit case / All kinds of Bags and Purse makers (other than leather)				
e	Operator in Petrol Bunks	2,494.00	2,450.00	2,402.00	2,359.00
f	Photo Frame Worker and Cutter	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
g	Skilled Labour in Lift Installing Establishment				
h	Air Condition :Plant Operator	2,609.00	2,570.00	2,532.00	2,494.00
i	Fruit Juice and Lassi Makers in Shops	2,540.00	2,494.00	2,450.00	2,410.00
j	Engraver in Steel and Alluminum Vellels Shop	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
k	Fire wood Cutter in Fire Wood Shop	2,540.00	2,494.00	2,450.00	2,410.00
l	Tyre Grinder in Tyre Resoling, Retreading and Tube Vulcanising Shop	2,578.00	2,532.00	2,487.00	2,450.00
m	Workers engaged in drying, storing, washing measuring, Loading and unloading in Pandagasalai, Warehouse, Godown, Store Room, and Hill Produce Merchant Shops	2,494.00	2,450.00	2,402.00	2,359.00
n	General workers in all shops and commercial establishments other than administration and clerical cadre and who are not covered in anyh of the above categories				

Dated: 16.03.2021.

**STATEMENT SHOWING DETAILS OF DEARNESS ALLOWANCE PAYABLE WITH EFFECT FROM 01/04/2021**  
**BASED ON THE AVERAGE CONSUMER PRICE INDEX OF CHENNAI CITY FOR THE CALENDAR YEAR 2020**  
**IN RESPECT OF VARIOUS SCHEDULED EMPLOYMENTS NOTIFIED UNDER THE MINIMUM WAGES ACT 1948,**

AVERAGE POINTS FOR CHENNAI CITY FOR THE CALENDAR YEAR 2020:

BASE YEAR 2001=100 : 296 Points

BASE YEAR 1982=100 : 1,465 Points

BASE YEAR 1960=100 : 7,398 Points

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
01	EMPLOYMENT IN AERATED WATER MANUFACTORY	(2D) No.1, dated 02/01/2019	23/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 31.00 per point per month	₹ 4,185.00 p/m
02	EMPLOYMENT IN AGARBATHY MANUFACTORY	(2D) No.49 dated 15/05/2018	06/06/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 28.55 per point per month	₹ 3,854.00 p/m
03	EMPLOYMENT IN APPALAM MANUFACTORY	(2D) No.69, dated 13/11/2017.	03/01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.00 per point per month	₹ 4,860.00 p/m
04	EMPLOYMENT IN AUTOMOBILE WORKSHOP	(2D) No.37, dated 19/06/ 2019	10/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 45.40 per point per month	₹ 6,129.00 p/m
05	EMPLOYMENT IN AUTO RICKSHAW & TAXIS	(2D) No. 115 dated 12/12/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 57.60 per point per month	₹ 7,776.00 p/m
06	EMPLOYMENT IN BAKERIES AND BISCUITS MANUFACTORY	(2D) No.81, dated 07/12/2017	14/02/2018	161/2010 (2001=100)	₹ 1.10 per point per day	₹ 148.50 p/d
07	EMPLOYMENT IN BLEACHING OR DYEING OR BOTH	(2D) No. 4, dated 17/01/2018	28/02/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 32.00 per point per month	₹ 4,320.00 p/m
08	EMPLOYMENT IN BRICKS AND TILES MANUFACTORY	(2D) No.70, dated 13/ 11/2017	03/01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.05 per point per day	₹ 141.75 p/d

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
09	EMPLOYMENT IN CARPENTRY & BLACKSMITHY	(2D) No. 54, dated 26/ 09/ 2014	26/11/ 2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 47.25 per point per month	₹ 6,379.00 p/m
10	EMPLOYMENT IN CHEMICAL FERTILIZER INDUSTRY	(2D) No 17 dated 16/03/2017	21/03/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 35.00 per point per month	₹ 4,725.00 p/m
11	EMPLOYMENT IN CHEMICAL INDUSTRY	(2D) No 87 dated 21/11/2019	11/12/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 50.00 per point per month	₹ 6,750.00 p/m
12	EMPLOYMENT IN CINEMA INDUSTRY	(2D) No 95 dated 08/11/2018	12/12/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 49.70 per point per month	₹ 6,710.00 p/m
13	EMPLOYMENT IN COACHING ACADEMICS	(2D) No 61 dated 26/06/2018	18/07/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 32.65 per point per month	₹ 4,408.00 p/m
14	EMPLOYMENT IN COCONUT PEELING	(2D) No. 68 dated 13/ 11/2017	03/01/2018	161 / 2010 (2000=100)	₹ 1.15 per point per day	₹ 155.25 p/d
15	EMPLOYMENT IN COFFEE CURING WORKS	(2D) No 66, dated 13/11/2017	03/01/ 2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.05 per point per day	₹ 141.75 p/d
16	EMPLOYMENT IN COIR MANUFACTORY	(2D) No. 02 dated 21/01/2015	04/03/2015	475 / 2000 (1982=100)	₹ 6.00 per point per month	₹ 5,940.00 p/m
17	EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION, MAINTENANCE OF ROADS OR IN BUILDING OPERATIONS	(2D) No. 100 dated 19/11/2018	26/12/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.17 per point per day	₹ 292.95 p/d
18	EMPLOYMENT IN CONSTRUCTION OF PANDALS.	(2D) No. 14 dated 16/03/2017	21/03/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1 per point per day	₹ 135.00 p/d
19	EMPLOYMENT IN COOKING FOOD	(2D) No 46 dated 27/06/2019	24/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 49.15 per point per month	₹ 6,635.00 p/m
20	EMPLOYMENT IN COTTON GINNING, PRESSING AND COTTON WASTE	(2D) No. 71, dated 13/ 11/ 2017	03/ 01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.00 per point per month	₹ 4,860.00 p/m

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
21	EMPLOYMENT IN DISTILLERY INDUSTRY	(2D) No.20 dated 15/02/2018	07/03/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 48.65 per point per month	₹ 6,568.00 p/m
22	EMPLOYMENT IN DISTRIBUTION OF LIQUID PETROLEUM GAS CYLINDERS	(2D) No. 2 dated 03/01/2019	23/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 31.90 per point per month	₹ 4,307.00 p/m
23	EMPLOYMENT IN DOMESTIC WORK	(2D) No.72 dated 18/07/2018	18/07/2018	248 / 2015 (2001=100)	₹ 26.00 per point per month	₹ 1,248.00 p/m
24	EMPLOYMENT IN ELECTRONICS INDUSTRY	(2D) No. 09, dated 15/ 02/2016	09/03/2016	161 / 2010 (2001=100)	₹ 35.00 per point per month	₹ 4,725.00 p/m
25	EMPLOYMENT IN FOOD PROCESSING INDUSTRY	(2D) No.33, dated 06/06/2019	26/06/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.00 per point per month	₹ 4,860.00 p/m
26	EMPLOYMENT IN FORESTRY	(2D) No.105 dated 26/11/2018	26/12/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.55 per point per day	₹ 209.25 p/d
27	EMPLOYMENT IN GENERAL ENGINEERING AND FABRICATION INDUSTRY	(2D) No. 67, dated 13/11/2017	03/ 01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 42.35 per point per month	₹ 5,717.00 p/m
28	EMPLOYMENT IN GOLD AND SILVER ARTICLES MANUFACTORY	(2D) No.111 dated 30/11/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.90 per point per day	₹ 256.50 p/d
29	EMPLOYMENT IN GRANITE INDUSTRY	(2D) No.79 dated 09/08/2018	26/09/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 50.30 per point per month	₹ 6,791.00 p/m
30	EMPLOYMENT IN GUNNY INDUSTRY	(2D) No. 37, dated 08/07/2014	13/08/2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.67 per point per day	₹ 225.45 p/d
31	EMPLOYMENT IN HAND EMBROIDERY AND JARI	(2D) No.48 dated 17/07/2019	07/08/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.84 per point per day	₹ 248.40 p/d
32	EMPLOYMENT IN HANDLOOM SILK WEAVING INDUSTRY	(2D) No. 47, dated 27/06/2019	07/08/2019	161 / 2010 (2001=100)	30 paise per point per day	₹ 40.50 p/d

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
33	EMPLOYMENT IN HOSIERY MANUFACTORY	(2D) No 05 Dated 27/01/2016	17/02/2016	475 /2000 1982=100	₹ 3.80 per point per month	₹ 3,762.00 p/m
34	EMPLOYMENT IN HOSPITALS AND NURSING HOMES	(2D)No. 24, dated 02/03/2018	02/03/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 53.90 per point per month	₹ 7,277.00 p/m
35	EMPLOYMENT IN HOTELS AND RESTAURANTS	(2D) No. 35, dated 08/07/2014	13/08/2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 46.26 per point per month	₹ 6,245.00 pm
36	EMPLOYMENT IN KNITTING INDUSTRY	(2D) No. 06 dated 27/01/2016	17/02/2016	475 /2000 1982=100	₹ 3.80 per point per month	₹ 3,762.00 p/m
37	EMPLOYMENT IN LAUNDRIES AND WASHING CLOTHES (INCLUDING WOOLLEN)	(2D) No.50 dated 15/05/2018	06/06/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.05 per point per day	₹ 276.75 p/d
38	EMPLOYMENT IN LOADING & UNLOADING OPERATONS IN MARKETS, SHANDIES (Fairs and Market Places and other like places)	(2D) No.45, dated 27/06/2019	24/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.20 per point per day	₹ 162.00 p/d
39	EMPLOYMENT IN LOCAL AUTHORITY	(2D) No.62 dated 11/10/2017	22/11/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 37.25 per point per month	₹ 5,029.00 p/m
40	EMPLOYMENT IN MAT WEAVING AND BASKET MAKING	(2D) No.35 dated 17/06/2019	03/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.18 per point per day	₹ 159.30 p/d
41	EMPLOYMENT IN (a) FIRE WORKS MANUFACTORY	(2D) No. 47, dated 05/10/2012	21/11/2012	475 / 2000 (1982=100)	₹ 3.80 per point per month	₹ 3,762.00 p/m
	(b) MATCH MANUFACTORY	(2D) No. 20, dated 21/03/2013	24/04/2013	475/ 2000 (1982=100)	16 paise per point per day	₹ 158.40 p/d
42	EMPLOYMENT IN MEDICAL AND SALES REPRESENTATIVE	(2D) No. 11 dated 15/02/2016	09/03/2016	161 / 2010 (2001=100)	₹ 43.55 per point per month	₹ 5,879.00 p/m
43	EMPLOYMENT IN MEDICINE MANUFACTURING INDUSTRY	(2D) No.38 dated 05/10/2016	23/11/2016	161/2010 (2001=100)	₹ 43.85 per point per month	₹ 5,920.00 p/m

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
44	EMPLOYMENT IN MOTION PICTURE INDUSTRY (Including Production, Distribution and Publicity)	(2D) No.43 dated 20/06/2019	10/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 42.25 per point per month	₹ 5,704.00 p/m
45	EMPLOYMENT IN MUSHROOM GROWING AND ALLIED WORKS	(2D) No.13, dated 17/02/2016	09/03/2016	161 / 2010 (2001=100)	₹ 30.90 per point per month	₹ 4,172.00 p/m
46	EMPLOYMENT IN NEERA TAPPING	(2D) No.40, dated 19/06/2019	10/07/ 2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 2.45 per point per day	₹ 330.75 p/d
47	EMPLOYMENT IN ANY OIL MILL	(2D) No.42, dated 20/06/2019	10/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 35.80 per point per month	₹ 4,833.00 p/m
48	EMPLOYMENT IN PAPER AND INCIDENTAL PROCESSES CONNECTED WITH:-					
	(a) HAND MADE PAPER INDUSTRY	(2D) No. 41, dated 30/07/2014	17/09/2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 27.98 per point per month	₹ 3,777.00 p/m
	(b) MACHINE MADE PAPER INDUSTRY	(2D) No. 41, dated 20/06/2019	10/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.25 per point per month	₹ 4,894.00 p/m
49	EMPLOYMENT IN POLYTHENE MANUFACTORY AND PROCESSING FOAM ITEMS AND PLASTIC MANUFACTORY	(2D) No.15 dated 16/03/2017	21/03/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 36.35 per point per month	₹ 4,907.00 p/m
50	EMPLOYMENT IN POWER LOOM INDUSTRY	(2D) No.114 dated 12/12/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.65 per point per day	₹ 222.75 p/d
51	EMPLOYMENT IN PRINTING PRESSES	(2D) No.16 dated 16/03/2017	21/03/2017	161 / 2010 (2001=100)	₹ 28.00 per point per month	₹ 3,780.00 p/m
52	EMPLOYMENT IN PUBLIC MOTOR TRANSPORT	(2D) No.120 dated 31/12/2018	23/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 52.95 per point per month	₹ 7,148.00 p/m
53	EMPLOYMENT IN RICE MILLS, FLOUR MILLS AND DHALL MILLS	(2D) No. 19, dated 15/02/2018	07/03/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.30 per point per day	₹ 175.50 p/d
54	EMPLOYMENT IN SAGO INDUSTRY	(2D) No.107 dated 26/11/2018	26/12/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 39.65 per point per month	₹ 5,353.00 p/m

Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
55	EMPLOYMENT IN SALT PANS	(2D) No.116 dated 12/12/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.40 per point per day	₹ 189.00 p/d
56	EMPLOYMENT IN SEA FOOD PROCESSING INDUSTRY	(2D) No.66 dated 02/07/2018	01/08/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 30.80 per point per month	₹ 4,158.00 p/m
57	EMPLOYMENT IN SECURITY GUARDS	(2D) No. 39, dated 19/06/2019	10/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 45.20 per point per month	₹ 6,102.00 p/m
58	EMPLOYMENT IN SERICULTURE	(2D) No.108 dated 26/11/2018	02/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.52 per point per day	₹ 205.20 p/d
59	EMPLOYMENT IN SHOPS AND COMMERCIAL ESTABLISHMENTS	(2D) No. 14, dated 05/03/19	05/03/2019	161/2010 (2001=100)	₹ 32.40 per point per month	₹ 4,374.00 p/m
60	EMPLOYMENT IN SILK TWISTING INDUSTRY	(2D) No.106 dated 26/11/2018	26/12/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.50 per point per day	₹ 202.50 p/d
61	EMPLOYMENT IN SOAP MANUFACTORY	(2D) No.110 dated 30/11/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 52.90 per point per month	₹ 7,142.00 p/m
62	EMPLOYMENT IN SYNTHETIC GEM CUTTING INDUSTRY	(2D) No.113 dated 12/12/2018	09/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.05 per point per day	₹ 141.75 p/d
63	EMPLOYMENT IN TAILORING INDUSRTY	(2D) No. 59, dated 10/10/2014	03/12/2014	161 / 2010 (2001=100)	₹ 31.05 per point per month	₹ 4,192.00 p/m
64	APPRENTICES IN THE EMPLOYMENT IN TEXTILE MILLS	(2D) No.43 dated 19/04/2018	16/05/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.60 per point per day	₹ 216.00 p/d
65	EMPLOYMENT IN TIMBER INDUSTRY	(2D) No.118 dated 27/12/2018	23/01/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.95 per point per day	₹ 263.25 p/d
66	EMPLOYMENT IN TIN CONTAINER MANUFACTORY	(2D) No. 104 Dated 26/11/2018	26/12/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 37.40 per point per month	₹ 5,049.00 p/m



Sl. No	Name of the scheduled employment	Labour & Employment Department G O No & Date	G O Effective from (Date)	Base Index	Rate of dearness allowance	Amount of dearness allowance payable
67	EMPLOYMENT IN TOBACCO MANUFACTORY:-					
	(a) (BEEDI ROLLING) MANUFACTORY IN THE EMPLOYMENT IN ANY TOBACCO (INCLUDING BEEDI MAKING MANUFACTORY)	(2D) No. 36, dated 02/06/2017	23/08/2017 (effective from 15/08/2015)	3384/2008 (1960=100)	3 paise per point per 1000 beedies	₹ 120.42 per 1000 beedies
	(b) TOBACCO MANUFACTORY (INCUDING BEEDI MAKING OTHER THAN BEEDI ROLLING)	(2D) No. 54, dated 07/12/2016	11/01/2017	475 / 2000 (1982=100)	₹ 6.55 per point per month	₹ 6,485.00 p/m
	(c) SCENTED AND CHEWING TOBACCO	(2D) No. 09, dated 21/02/2013	20/03/2013	475 / 2000 (1982=100)	16 paise per point per day	₹ 158.40 p/d
	(d) SNUFF INDUSTRY	(2D) No. 38, dated 19/06/2019	10/07/2019	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.13 per point per day	₹ 152.55 p/d
68	EMPLOYMENT IN VESSEL (UTENSILS) MANUFACTORY	(2D) No. 75, dated 24/11/2017	03/01/2018	161 / 2010 (2001=100)	₹ 1.05 per point per day	₹ 141.75 p/d
69	EMPLOYMENT IN WOOLEN CARPET AND SHAWL WEAVING INDUSTRY	(D) No. 344, dated 10/04/1992	20/05/1992	808 / 1988 (1960=100)	2 paise per point per day	₹ 131.80 p/d

**Note:** D.A. shall be revised as and when the Government notified the revision of minimum wages.

*Sd/-* *Gm. Gm. 2017*  
15/4/2017  
FOR COMMISSIONER OF LABOUR

15/4/21

**Points for calculating dearness allowance for different base periods (For guidance only)**

Calendar year	2020				
	Base year in respect of a particular scheduled industry	2001=100	1982=100	1960=100	
Average point for calendar year 2020	296	1465	7398		
Base year for VDA regarding different scheduled industries	161/2010	248/2015	475/2000	3384/2008	808/1988
Increase in points for calculating VDA for different Scheduled Industries	135	48	990	4,014	6,590

## झारखण्ड सरकार

### श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग

#### अधिसूचना

एस0ओ0 .....

दिनांक.....

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (1948 का 11) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल यह घोषणा करते हैं कि एतद संबंधी अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियोजनों में (संलग्न अनुसूचित नियोजनों में विनिर्दिष्ट) नियोजित कर्मचारियों के प्रायोज्य मूल्य सूचकांक अनुसूची के स्तम्भ-3 में प्रदर्शित मासों के लिए उक्त अधिनियम की धारा-2 के खण्ड(डी) के प्रयोजन के निमित्त अनुसूची के स्तम्भ-4 में यथा प्रदर्शित रूप में होंगे।

क्रम सं०	अनुसूचित नियोजनों के नाम	माह एवं वर्ष	अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक(आधार वर्ष २००१=१००)
१	२	३	४
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	जुलाई, 2020	336
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन	अगस्त, 2020	338
3	चर्म शोधनालय और चर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	सितम्बर, 2020	340.13
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	अक्टूबर, 2020	344.16
5	डिस्टिलरी के नियोजन	नवम्बर, 2020	345.31
6	पाट्टीज के नियोजन	दिसम्बर, 2020	342.14
7	बेकरीज एवं कान्फकेशन के नियोजन	कुल	2045.74
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	6 माह का औसत	$\frac{2045.74}{6} = 340.95 = 341$
9	अल्यूमिनियम उद्योग के नियोजन	24.10.2019 में पुनरीक्षित/निर्धारित बिन्दु अर्थात्	301
10	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	प्रतिशत वृद्धि = $\frac{40 \times 100}{301}$	$341 - 301 = 40$ बिन्दु 13.29 % की वृद्धि
11	केमिकल एण्ड फार्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन		
12	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन		
13	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन		
14	एसबेस्टस सीमेंट कारखाना के नियोजन		
15	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन		
16	बन्दुक कारखाने के नियोजन		



17	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन		
18	पेपर उद्योग के नियोजन		
19	लॉन्ड्री एवं वॉशिंग के नियोजन		
20	होजियारी निर्माण के नियोजन		
21	सिंदूर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन		
22	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन		
23	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन		
24	आइसकीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन		
25	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन		
26	फिशरीज के नियोजन		
27	खादी यामोध्योग के नियोजन		
28	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन		
29	हार्ड कोक भट्टा के नियोजन		
30	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन		
31	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य के नियोजन		
32	मुद्रणालय के नियोजन		
33	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन		
34	हैंडलूम उद्योग के नियोजन		
35	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन		
36	रिफैक्टरीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन		
37	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन		
38	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन		
39	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन		
40	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन		
41	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन		
42	डेयरी एवं पोल्ट्री फार्म्स के नियोजन		
43	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन		
44	सिनेमा उद्योग के नियोजन		
45	चावल मिलों, आटा मिलों, दाल मिलों, तेल मिलों के नियोजन के नियोजन		
46	सिलाई उद्योग के नियोजन		
47	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन		

2532

48	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन		
49	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन		
50	सीमेंट से ह्यूम पाइप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन		
51	कृषि नियोजन		
52	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन		
53	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजक		
54	टफ्टी, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगटेड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गत्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन		
55	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन		
56	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन		
57	ढलाई(फउण्डी उद्योग) के नियोजन		
58	बिस्कुट उद्योग के नियोजन		
59	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन		
60	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन		
61	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन		
62	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन		
63	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन		
64	स्पंज आइरन छड निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इनगोट के नियोजन		
65	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन		
66	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन		
67	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन		
68	चार्टर्ड/कॉस्ट अकउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन		
69	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग इन्स्टीच्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन		
70	जमीन के नीचे वाटर सप्लाई पाइप लाइन एवं केबुल बिछाने के नियोजन		
71	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाई के नियोजन		
72	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन		
73	ग्राइडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल और के नियोजन		
74	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन		
75	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन		
77	मोबाईल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य		


2532

7B	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		
----	---	--	--

परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के उस औसत बिन्दु पर आधारित होगी, जिस पर उपर्युक्त अनुसूचित नियोजनों में परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है। उपर्युक्त सूचकांक में यथा स्थिति वृद्धि अथवा हास के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की दरों में उपर्युक्त अनुसूची के स्तम्भ-४ में अंकित दर से वृद्धि या कमी की जाएगी और उसे परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का अंश समझा जाएगा। परन्तु यदि सूचकांक उस बिन्दु से कम हो जाए जिस पर परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की दर निर्धारित/ पुनरीक्षित की गई है, तो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित परिवर्तनशील महंगाई भत्तों की दरों में कमी नहीं होगी। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता का भुगतान उपर्युक्त दर से, जो जुलाई से दिसम्बर, 2020 (वर्ष 2020 का द्वितीय अर्द्धाब्धि) के अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत पर आधारित है, दिनांक- 01.04.2021 की तिथि से देय होगा।

(संख्या-२/ एम०डब्ल्यू०-२०७१/२०१०,५० नि० 513 राँची, दिनांक 13/04/2021

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सुरकार के अवर सचिव।  
(13/4/21)

## अधिसूचना


एस० ओ०.....

दिनांक.....

का अंग्रेजी भाषा में निम्नांकित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद- 344 के खण्ड-3 के अधीन अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

(संख्या-2/ एम०डब्ल्यू-2061/2010,श० नि० 514..... राँची, दिनांक.....13/04/2021)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
सरकार के अवर सचिव।

## NOTIFICATION

S.O...../

dated .....

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Minimum Wages Act, 1948 (XI) of 1948), the Governor of Jharkhand is pleased to declare that the consumer price index number applicable to the employees employed in employments mentioned in column-2 of the schedule below here appended (herein after referred to as the scheduled employment) for the months shown in column-3 of the said schedule shall be as shown in column-4 of the schedule for the purpose of clause (d) of section-2 of the said Act.

Sl. No.	Scheduled Employment	Month & Year	All India Consumer Price Index No. (2001=100)
1	2	3	4
1	Dam Construction and Irrigation	July, 2020	336
2	Shops Selling Cooked food stuff	August, 2020	338
3	Tanneries and Leather Manufactory	September, 2020	340.13
4	Cold Storage	October, 2020	344.16
5	Distilleries	November, 2020	345.31
6	Potteries	December, 2020	342.14
7	Bakeries and Confectionaries	Total	2045.74
8	Co-Operative Sector	Average	2045.74
9	Aluminum Industry	Revised /fixed price index no. on-24.10.2019	6
10	Khand sari Industry		= 340.95= 341 301 Point
			341-301 =40 Point $\frac{40 \times 100}{301}$

		Percentage Increase	=13.29 % की वृद्धि
			60
11	Chemical Pharmaceutical Industry		38
12	Soap Making Industry		37
13	Cement Pre-Stressed Product Industry		36
14	Asbestos Cement factory		35
15	Glass Sheet Industry		34
16	Gun factory		33
17	Religious and Social Industry		32
18	Paper Industry		31
19	Laundry and Washing		30
20	Hosieries Manufacturing		29
21	Manufacture of Sindur and Rang		28
22	Manufacture of leather goods		27
23	Wood work and Furniture		26
24	Ice-cream and Cold drink		25
25	Petrol and Diesel Pump		24
26	Fisheries		23
27	Khadi and Village Industry		22
28	Private Ferise and L.T.C.		21
29	Hard Coke Oven		20
30	Private Hospital, Nursing		19
31	Construction or maintenance of Road or in building construction		18
32	Printing Press		17
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)		16
34	Handloom Industry		15
35	Manufacture of Gold Articles of stistic design		14
36	Refractories, Fire bricks ceramic Industry		13
37	Any shop or Establishment		12
38	Public Motor Transport		11
39	Any University, Education Research of lultural Institution		

53



40	Hotels, Eating House and Resturant		
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment		
42	Dairies and Poultry Farms		
43	Auto Mobile Engineering		
44	Cinema Industry		
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills		
46	Tailoring Industry		
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)		
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry		
49	Plastic Industry		
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry		
51	Employment in Agriculture		
52	Book Binding Industry		
53	Employment of Glass Industries (Excluding Glass sheet)		
54	Dalti, Card Board, Mill Board, Corrageted Board, Gatta Board Manufactory		
55	Electronics Industry		
56	Plywood Industry		
57	Foundry Industry		
58	Biscuit Industry		
59	Coal Briquette Industry		
60	Private Security Agency		
61	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)		
62	Mineral Grinding Industry		
63	Employment of Sweeping and Cleaning		
64	Sponse Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots		
65	Employment in Motor garages and workshops		
66	Employment of Motor Body Building.		
67	Employment of Mess, Canteens and Clubs		
68	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect.		
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)		

252


70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.		
71	Employment in Electricity Generator and supply		
72	Employment in Decoration of Pandal etc.		
73	Grinding and crushing of Mineral ore.		
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.		
75	Computer Coaching Institute etc.		
76	Employment of Mobile Tower etc.		
77	Employment of Sales Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976		

The rates of variable dearness allowance will be based on the average of all India Consumer Price Index on which the minimum rates of wages have been fixed/revised in the above schedule employments. There will be increase or decrease in wage of rates shown in column-4 with rise or fall as the case may be in aforesaid Index of the above schedule employments and it will be deemed as variable dearness allowance component. But even if index falls below the points on which minimum rates of wages have been fixed/revised, there will not be any reduction in the minimum wages fixed/revised.

The payment of variable dearness allowance on the basis of average Consumer Price Index of July-December,2020, which is 2<sup>nd</sup> half of 2020, will be payable from 01.04.2021

[No-2/MW-2071/2010 L&T- 514 Ranchi, Dated 13/04/2021 ]

By Order of the Governor of Jharkhand,

  
 Under Secretary to Government  
 13/4/21


जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....513.....राँची,दिनांक.....13/04/2021

प्रतिलिपि:-अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, डोरन्डा, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि वे इस गजट की ५००प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

  
सरकार के अवर सचिव।


जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....513.....राँची,दिनांक.....13/04/2021

प्रतिलिपि:-माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

जापांक-२/एम०डब्लू०-२०७२/२०१०श्र०नि०.....513.....राँची,दिनांक.....13/04/2021

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/उप निदेशक, श्रम मंत्रालय (वेज सेल),भारत सरकार, नई दिल्ली/मुख्य श्रमायुक्त(केन्द्रीय), श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली / क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय), धनबाद/ निदेशक,लेबर ब्यूरो,शिमला /घण्डीगढ़ /स्थानिक आयुक्त, झारखण्ड भवन नई दिल्ली/ सरकार के सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमण्डलीय आयुक्त, झारखण्ड/ सभी उपायुक्त, झारखण्ड/ सभी उपविकास आयुक्त, झारखण्ड/ सचिव, न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद(केन्द्रीय)श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली/ न्यूनतम मजदूरी परामर्शदातृ पर्षद के सभी सदस्यगण/प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य गव्य विकास निगम,राँची/ निदेशक,सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, झारखण्ड, राँची/ सभी विभागीय पदाधिकारियों(तकनीकी सहित)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अवर सचिव।

## अनुसूची-1

क्रमसं०	अनुसूचित नियोजनों का नाम	अधिसूचना सं० एवं तिथि	जुलाई से दिसम्बर 2018 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर न्यूनतम मजदूरी दर निर्धारित की गई है।	जुलाई, 2020 से दिसम्बर 2020 तक का औसत मूल्य सूचकांक जिस पर महंगाई भत्ता देय है।	उपरोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि (4 - 5)	बढ़े हुए मूल्य सूचकांक पर परिवर्तनशील महंगाई की अतिरिक्त राशि	तिथि: जब से परिवर्तनशील महंगाई भत्ता की राशि देनी होगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बाँध निर्माण एवं सिंचाई कार्यों के नियोजन	अधिसूचना सं० -1879 दिनांक- 24.10.19	301	341	341-301 =40 बिन्दु अर्थात् $\frac{40 \times 100}{301}$ = 13.29 % की वृद्धि	क) ₹= 274.81 पर ₹= 36.57 प्रतिदिन ख) ₹= 287.90 पर ₹= 38.26 प्रतिदिन ग) ₹= 379.51 पर ₹= 50.43 प्रतिदिन घ) ₹= 438.39 पर ₹= 58.26 प्रतिदिन  <u>मासिक</u> क) ₹= 7145.06 पर ₹= 949.57 प्रतिमाह ख) ₹= 7485.40 पर ₹= 994.80 प्रतिमाह ग) 9867.26 पर ₹= 1311.35 प्रतिमाह घ) ₹= 11398.14 पर ₹= 1514.81 प्रतिमाह	दिनांक- 01.04.2021 से देय
2	पकाई हुई खाद्य वस्तु बेचने वाली दुकानों के नियोजन						
3	घर्म शोधनालय और घर्म विनिर्माणशालाओं के नियोजन	तदर्थ					
4	कोल्ड स्टोरेज के नियोजन	तदर्थ					
5	डिस्टीलरी के नियोजन	तदर्थ					
6	पोट्रीज के नियोजन	तदर्थ					
7	बेकरीज़ एवं कार्म्पकेशन के नियोजन	तदर्थ					
8	को-आपरेटिव सेक्टर के नियोजन	तदर्थ					

*(Handwritten Signature)*

1	2	3	4	5	6	7	8
९	अल्युमिनियम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१०	खण्डसारी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
११	केमिकल एण्ड फर्मास्युटिकल उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१२	साबुन निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१३	सीमेंट प्री-स्टेस्ट प्रोडक्शन उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१४	एसबेस्ट्स सीमेंट कारखाना के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१५	ग्लास सीट निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१६	बन्दुक कारखाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१७	धार्मिक एवं सामाजिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१८	पेपर उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
१९	लॉन्डी एवं वॉशिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२०	होजियारी निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२१	सिंदुर एवं रंग बनाने का उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२२	चर्म-वस्तु निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२३	उड वर्क्स एवं फर्नीचर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२४	आइसक्रीम एवं कोल्ड ड्रिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२५	पेट्रोल एवं डीजल पम्प्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

*(Handwritten signature)*

1	2	3	4	5	6	7	8
२६	फिशरीज के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२७	खादी ग्रामोध्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२८	प्राइवेटफेरिज एण्ड एल०टी०सी० के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
२९	हाई कोक भट्टा के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३०	निजी अस्पताल नर्सिंग होम्स एवं क्लिनिक्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३१	सड़क के निर्माण या अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्यों के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३२	मुद्रणालय के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३३	अबरक कार्यों(खदानों को छोड़कर कारखाने एवं प्रतिष्ठान) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३४	हैंडलूम उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३५	स्वर्ण एवं रजत आभूषण तथा कलापूर्ण सामग्रियों के निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३६	रिफैक्टरीज फायरब्रिक्स एवं सिरामिक्स उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३७	किसी दुकान अथवा प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३८	पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
३९	किसी विश्वविद्यालयों, शैक्षणिक शोध अथवा सांस्कृतिक संस्थान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४०	होटल, भोजन गृहों एवं रेस्तराओं के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8
४१	ऊनी कालीन बनाने वाले या शाल बुनने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४२	डेयरी एवं पोल्ट्री फर्म्स के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४३	ऑटो मोबाइल इंजीनियरिंग शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४४	सिनेमा उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४५	चावल मिर्चा, आटा मिर्चा, दाल मिर्चा, तेल मिर्चा के नियोजन के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४६	सिलाई उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४७	रबर एवं रबर कम्पाउन्ड उद्योग (जिसमें टायर एवं ट्यूब का निर्माण भी सम्मिलित है) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४८	बिजली एवं अन्य प्रकार के बल्ब तथा फ्लोरोन्स ट्यूब निर्माण उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
४९	प्लास्टिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५०	सीमेंट से ह्यूम पाईप, बिजली का खम्भा एवं रेलवे स्लीपर बनाने के उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५१	कृषि नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५२	जिल्दसाजी उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५३	शीशा उद्योग के नियोजन(ग्लासशीट को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५४	दफती, कार्डबोर्ड, पिल बोर्ड, कारगोटर्ड बोर्ड, एस्ट्रा बोर्ड या गल्ता पेपर बोर्ड निर्माण के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

*Handwritten signature*


1	2	3	4	5	6	7	8
५५	इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५६	प्लाइवूड उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५७	ढलाई(फऊण्डी उधयोग) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५८	बिस्कुट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
५९	कोल ब्रिकेट उद्योग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६०	प्राइवेट सिक्यूरिटी एजेंसी के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६१	लघु अभियंत्रण उद्योग (स्वचालित अभियंत्रण दुकानों को छोड़कर) के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६२	मिनरल ग्राइडिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६३	बुहारने और सफाई का कार्य के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६४	स्पंज आइरन छड़ निर्माण एवं लोहा से एंगल बनाने तथा इन्गोट के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६५	मोटर गैराज एण्ड वर्क्स शॉप के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६६	मोटर बाडीबिल्डिंग के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६७	मेस, कैंटीन एवं क्लब के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६८	चार्टर्ड/कॉस्ट अकउन्ट्स/ऑडिटर/टैक्स कंसल्टेन्सी एंड आर्किटेक के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
६९	प्राइवेट तकनीकी संस्थान, कोचिंग उद्योग इन्स्टीट्यूट, निजी स्कूल आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७०	जमीन के नीचे वाटर सप्लाइ पाईप लाइन एवं केबल बिछाने के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव



1	2	3	4	5	6	7	8
७१	इलेक्ट्रिसिटी जेनरेटर एण्ड सप्लाइ के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७२	पंडाल आदि का साजसज्जा आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७३	ग्राइंडिंग एण्ड क्रशिंग आफ मिनरल ओर के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७४	सवारी एवं माल वाहक वाहन चलाने वाले ड्राइवर/ खलासी/ परिचालक आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७५	कम्प्युटर शिक्षा संस्थान आदि के नियोजन	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७६	मोबाइल टावर इत्यादि के संचालन के कार्य	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव
७७	विक्रय प्रोत्साहन कर्मचारी (सेवा की शर्त) अधि० १९७६ से आच्छादित नियोजन		तदैव	तदैव	तदैव	तदैव	तदैव

(संख्या-२/एम०डब्ल्यू०-२०७१/२०१०, अ०नि० 513 राँची, दिनांक 13/04/21)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

  
13/4/21  
सरकार के अवर सचिव।

## Schedule-I

Sl No	Name of the Schedule Employment	Notification No. and Date	Average of indices of July-December, 2018 of Minimum rates of wages revised	Average of indices of July, 2020 to December, 2020 on which V.D.A. is payable	Total Variation on Index (5-4)	Amount of V.D.A. on the basis of increase in Price Index slab wise	Date from which additional V.D.A. is payable
0	1	2	4	5	6	7	8
1	Dam Construction and Irrigation	Notification No-1875 Date- 24-10-19	301	341	341-301 =40 Or $\frac{40 \times 100}{301} = 13.29\%$	(a) On Rs. 274.81 Rs. 36.52 per day (b) On Rs. 287.90 Rs. 38.26 per day (c) On Rs. 379.51 Rs. 50.43 per day (d) Rs. 438.39 and above Rs. 58.26 per day	From 01.04.2021
2	Shops Selling Cooked food stuff	-Do-					
3	Tanneries and Leather Manufactory	-Do-					
4	Cold Storage	-Do-					
5	Distilleries	-Do-					
6	Potteries	-Do-					
7	Bakeries and Confectionaries	-Do-					
						<p style="text-align: center;"><b>Monthly</b></p> <p>(a) On Rs. 7145.06 Rs. 949.57 per month (b) On Rs. 7485.40 Rs. 994.80 per month (c) On Rs. 9867.26 Rs.1311.35 per month (d) Rs. 11398.14 and above Rs.1514.81 per month</p>	

233

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Co-Operative Sector	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
9	Aluminum Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
10	Khandsari Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
11	Chemical Pharmaceutical Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
12	Soap Making Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
13	Cement Pre-Stressed Product Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
14	Asbestos Cement factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
15	Glass Sheet Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
16	Gun factory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
17	Religious and Social Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
18	Paper Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
19	Laundry and Washing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
20	Hosieries Manufacturing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
21	Manufacture of Sindur and Rang	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
22	Manufacture of leather goods	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
23	Wood work and Furniture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
24	Ice-cream and Cold drink	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
25	Petrol and Diesel Pump	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
26	Fisheries	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
27	Khadi and Village Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
28	Private Ferries and L.T.C.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
29	Hard Coke Oven	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

*25/2*

0	1	2	3	4	5	6	7	8
30	Private Hospital, Nursing	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
31	Construction or maintenance of Road or in building construction	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
32	Printing Press	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
33	Mica Works (Factories and Establishment Excluding Mines)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
34	Handloom Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
35	Manufacture of Gold Articles of stitic design	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
36	Refractory's, Fire bricks ceramic Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
37	Any shop or Establishment	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
38	Public Motor Transport	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
39	Any University, Educational Research or Cultural Institution	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
40	Hotels, Eating House and Restaurant	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
41	Any, Woolen Carpet making of Showl weaving Establishment	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
42	Dairies and Poultry Farms	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
43	Auto Mobile Engineering	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
44	Cinema Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
45	Rice Mills, Flour Mills, Dal Mills and Oil Mills	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
46	Tailoring Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
47	Rubber and Rubber Compound Industry (in which manufacture of Tyre and Tube is also included)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
48	Electric and other type of bulb and Florence Tube Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
49	Plastic Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

253


0	1	2	3	4	5	6	7	8
50	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
51	Employment in Agriculture	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
52	Book Binding Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
53	Daft, Card Board, Mill Board, Corrugated Board, Gatta Board Manufactory	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
54	Electronics Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
55	Plywood Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
56	Foundry Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
57	Biscuit Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
58	Coal Briquette Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
59	Private Security Agency	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
60	Minor Engineering Industry (Excluding Automobile Engineering Shops)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
61	Mineral Grinding Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
62	Employment of Sweeping and Cleaning	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
63	Sponge Iron, Rod manufacturing, and manufacturing of angle from Iron and Ingots	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
64	Employment in Motor garages and workshops	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
65	Employment of Motor Body Building	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
66	Employment of Mess, Canteens and Clubs	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
67	Employment in Chartered/Casts accounts, auditors, tax consultancy and Architect	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
68	Cement Hume Pipe, Electric Pole and Railway sleeper Manufacture Industry	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
69	Private Technical Institution, Coaching Institute and Private Schools (Non teaching)	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

*232*

0	1	2	3	4	5	6	7	8
70	Employment in laying of Under ground cables, electric lines, water supply lines and sewerage Pipe line.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
71	Employment in Electricity Generator and supply.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
72	Employment in Decoration of Pandal etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
73	Grinding and crushing of Mineral ore.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
74	Employment of Bus and Truck Driver/Conductor and Cleaners.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
75	Computer Coaching Institute etc.	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
76	Employment of Mobile Tower etc.	Notification No-1469, 1470 Date 14.08.2015	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-
77	Employment of Sales and Promotion(Regulation and Abolition) Act, 1976	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-	-Do-

[No-2/MW-2071/2010, L & T-.....513.....Ranchi, Dated 13/04/2021

By order of the Governor of Jharkhand,

  
 2538  
 13/04/21  
 Under Secretary to Government

File No.1/16(1)/2021-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 23/4/2021

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. 01.04.2021 on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	78	72	72
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	85	78	72
Skilled/Clerical	93	85	78
Highly Skilled	102	95	85

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2021 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+78=411	303+72=375	300+72=372
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	364+85=449	335+78=413	307+72=379
Skilled/Clerical	395+93=488	364+85=449	334+78=412
Highly Skilled	438+102=540	407+95=502	364+85=449

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(D.P.S.Negi)

Chief Labour Commissioner(C)

Dated: 3/4/2021

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O.2413(E) dated 28<sup>th</sup> July, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned, hereby, revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

Rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in employments in **Gypsum Mines, Barytes Mines, Bauxite Mines, Manganese Mines, China Clay Mines, Kyanite Mines, Copper Mines, Clay Mines, Magnesite Mines, White Clay Mines, Stone Mines, Steatite Mines (including the mines producing Soap Stones and Talc), Ochre Mines, Asbestos Mines, Fire Clay Mines, Chromite Mines, Quartzite Mines, Quartz Mines, Silica Mines, Graphite Mines, Felspar Mines, Laterite Mines, Dolomite Mines, Red Oxide Mines, Wolfram Mines Iron Ore Mines, Granite Mines Rock Phosphate Mines, Hematite Mines, Marble and Calcite Mines, Uranium Mines, Mica Mines, Lignite Mines, Gravel Mines, Slate Mines and Magnetite Mines.**


Category of worker	Rates of V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	81	102
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	102	122
Skilled/ Clerical	122	142
Highly Skilled	142	157

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance Payable w.e.f. 01.04.2021 will be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. (in Rs.) per day	
	For work above ground	For work below ground
Unskilled	350+81=431	437+102=539
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	437+102=539	523+122=645
Skilled/ Clerical	523+122=645	610+142=752
Highly Skilled	610+142=752	683+157=840

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.



(D.P.S.Negi)

Chief Labour Commissioner(C)



F.No.1/20(3)/2021-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated 23/4/2021

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 188(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour and Employment the undersigned, hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

The rates of Variable Dearness Allowance for employees employed in **CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR RUNWAYS OR IN BUILDING OPERATIONS INCLUDING LAYING DOWN UNDERGROUND ELECTRIC, WIRELESS, RADIO, TELEVISION, TELEPHONE, TELEGRAPH AND OVERSEAS COMMUNICATION CABLES AND SIMILAR OTHER UNDERGROUND CABLING WORK, ELECTRIC LINES, WATER SUPPLY LINES AND SEWERAGE PIPE LINES.**


Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	122	102	81
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	135	115	95
Skilled/Clerical	147	135	115
Highly Skilled	160	147	135

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2021 will be as under :-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. per day (in Rupees)		
	A Area	B Area	C Area
Unskilled	523+122=645	437+102=539	350+81=431
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	579+135=714	494+115=609	410+95=505
Skilled/ Clerical	637+147=784	579+135=714	494+115=609
Highly Skilled	693+160=853	637+147=784	579+135=714

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.



(D.P.S.Negi)  
Chief Labour Commissioner(C)

F.No.1/16(4)/2021-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated 23/4/2021

**ORDER**

In Exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 192(E), dated 19<sup>th</sup> January, 2017, of the Ministry of Labour & Employment the undersigned, hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

**RATES OF V.D.A. FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN LOADING AND UNLOADING IN (i) GOODS SHEDS, PARCEL OFFICES OF RAILWAYS, (ii) OTHER GOODS-SHEDS, GODOWNS, WAREHOUSES AND OTHER SIMILAR EMPLOYMENTS; (iii) DOCKS AND PORTS; AND (iv) PASSENGERS GOODS AND CARGO CARRIED OUT AT AIRPORTS (BOTH INTERNATIONAL AND DOMESTIC).**

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2021 to the employees shall be as under:-


AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (IN RS.)
'A'	122
'B'	102
'C'	81

Therefore the minimum rates of wages showing the basic rates and variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2021 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D. A. PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A. (Rs.)	Total (Rs.)
'A'	523	+	122	= 645
'B'	437	+	102	= 539
'C'	350	+	81	= 431

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.



(D.P.S.Negi)  
Chief Labour Commissioner(C)

No.1/16(5)/2021-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 23/4/2021

ORDER

In exercise of the powers conferred by the Central Government Vide Notification No. S.O.190(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour & Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

**RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993".**

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	122
B	102
C	81

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.04.2021 shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			Total (Rs.)	
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)		
A	523	+	122	=	645
B	437	+	102	=	539
C	350	+	81	=	431

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.



(D.P.S.Negi)  
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/16(6)/2020-LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated 23/4/2021

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by the Central Government Vide Notification No.S.O.191(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour & Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	147
B	135
C	115

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f 01.04.2021 to employees employed in **WATCH AND WARD (without arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)	Total (Rs.)
A	637	+	147	= 784
B	579	+	135	= 714
C	494	+	115	= 609

II. RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF V.D.A. PER DAY (in Rs.)
A	160
B	147
C	135

Therefore, the minimum rates of wages showing the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.10.2020 to employees employed in **WATCH AND WARD (with arms)** shall be as under:-

AREA	RATES OF WAGES PLUS V.D.A PER DAY			
	Basic Wages (Rs.)		V.D.A (Rs.)	Total (Rs.)
A	693	+	160	= 853
B	637	+	147	= 784
C	579	+	135	= 714

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19<sup>th</sup> January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

  
(D.P.S.Negi)  
Chief Labour Commissioner(C)

File No.1/16/(7)2021 LS-II  
Government of India  
Ministry of Labour & Employment  
Office of the Chief Labour Commissioner(C)  
New Delhi

Dated: 23/4/2021

**ORDER**

In exercise of the powers conferred by the Central Government Vide Notification No.S.O.189(E) dated 19<sup>th</sup> January, 2017 of the Ministry of Labour & Employment, the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers for the month of July, 2020 is 336 and August, 2020 is 338 (Base 2001-100) and (Base Year 2016-100) for the month of September, 2020 is 118.1, October, 2020 is 119.5, November, 2020 is 119.9 and December, 2020 is 118.8 and thereby resulting in an increase of 2.88 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2021:-

RATES OF V.D.A.FOR EMPLOYEES EMPLOYED IN "STONE MINES" shall be as under:-

Item of work	Rates of Variable Dearness Allowance as on 01-04.2021
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	
(i) Soft Soil	Rs. 84
(ii) Soft Soil with rock	Rs. 123
(ii) Rock	Rs.163
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 metres lead/ 1.5 Metres lift. *	Rs.66
3. Stone breaking or Stone Crushing for the Stone size of:-	
1.0 inch to 1.5 inches	Rs. 495
Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs. 423
Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs. 250
Above 5.0 inches	Rs. 206

Therefore, the minimum piece rate wages showing the basic and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2021 to the employees employed in Stone Mines shall be as under:-

Category	Basic Wages	VDA	Total
1. Excavation & removal of over burden with 50 meters Lead/1.5 Meters lift. *			
(i) Soft Soil	Rs.351	+ Rs.84	= Rs. 435
(ii) Soft Soil with rock	Rs.531	+ Rs.123	= Rs.654
(iii) Rock	Rs.703	+ Rs.163	= Rs.866
2. Removal and stacking of rejected stones with 50 meters lead/ 1.5 meters lift. *	Rs. 283	+ Rs.66	= Rs.349
3. Stone Breaking or Stone Crushing for stone size of category **			
	Basic Wages	VDA	Total
(i) 1.0 inch to 1.5 inches	Rs.2171	+ Rs. 495	= 2666
(ii) Above 1.5 inches to 3.0 inches	Rs.1857	+ Rs. 423	= 2280
(iii) Above 3.0 inches to 5.0 inches	Rs.1088	+ Rs.250	= 1338
(iv) Above 5.0 inches	Rs.893	+ Rs.206	= 1099

The workers employed on minimum guaranteed time rate of wages per day shall be entitled to time rate of minimum wages plus special allowance, if any, for unskilled category of above ground workers revised from time to time by the Central Government in respect of scheduled employment in stone mines.

\* Per 2.831 cube meters (100 cubic feet)

\*\* Per truck load of 5.662 cubic meters (200 cubic feet)



(D.P.S.Negi)

Chief Labour Commissioner(C)

CLASSIFICATION OF AREA

AREA - "A"

Ahmedabad	(UA)	Hyderabad	(UA)	Faridabad complex	(M.Corp'n)
Bangaluru	(UA)	Kanpur	(UA)	Ghaziabad	(UA)
Delhi	(UA)	Chennai	(UA)	Noida	
Greater Mumbai	(UA)	Nagpur	(UA)	Secunderabad	
Kolkata	(UA)	Lucknow	(UA)	Gurgaon	(M. Corp'n)
Navi Mumbai	(UA)	Pune	(UA)		

AREA - "B"

Agra	(UA)	Gwalior	(UA)	Port Blair	(UA)
Ajmer	(UA)	Hubli-Dharwad	(M. Corp'n)	Puducherry	(UA)
Aligarh	(UA)	Indore	(UA)	Raipur	(UA)
Allahabad	(UA)	Jabalpur	(UA)	Raurkela	(UA)
Amravati	(M.Corp'n)	Jaipur	(M.Corp'n)	Rajkot	(UA)
Amritsar	(UA)	Jalandhar	(UA)	Ranchi	(UA)
Asansol	(UA)	Jalandhar-Cantt.	(UA)	Saharanpur	(M.Corp'n)
Aurangabad	(UA)	Jammu	(UA)	Salem	(UA)
Bareilly	(UA)	Jamnagar	(UA)	Sangli	(UA)
Belgaum	(UA)	Jamshedpur	(UA)	Shillong	
Bhavnagar	(UA)	Jhansi	(UA)	Siliguri	(UA)
Bhiwandi	(UA)	Jodhpur	(UA)	Solapur	(M.Corp'n)
Bhopal	(UA)	Kanpur	(UA)	Srinagar	(UA)
Bhubaneswar	(UA)	Kochi	(UA)	Surat	(UA)
Bikaner	(M.Corp'n)	Kolhapur	(UA)	Thiruvananthapuram	(UA)
Bokaro Steel City	(UA)	Kollam	(UA)	Thrissur	(UA)
Chandigarh	(UA)	Kota	(M.Corp'n)	Tiruchirappalli	(UA)
Coimbatore	(UA)	Kozhikode	(UA)	Tiruppur	(UA)
Cuttack	(UA)	Ludhiana	(M.Corp'n)	Ujjain	(M.Corp'n)
Dehradun	(UA)	Madurai	(UA)	Vadodara	(UA)
Dhanbad	(UA)	Malappuram	(UA)	Varanasi	(UA)
Durgapur	(UA)	Malegaon	(UA)	Vasai- Virar City	(M.Corp'n)
Durg-Bhilai Nagar	(UA)	Mangalore	(UA)	Vijayawada	(UA)
Erode	(UA)	Meerut	(UA)	Vishakhapatnam	(M.Corp'n)
Ferozabad		Moradabad	(M. Corp'n)	Warangal	(UA)
Goa		Mysore	(UA)		
Gorakhpur	(UA)	NandedWaghala	(M. Corp'n)		
Greater Visakhapatnam	(M.Corp'n)	Nasik	(UA)		
Gulbarga	(UA)	Nellore	(UA)		
Guntur	(UA)	Panchkula	(UA)		
Guwahati	(UA)	Patna	(UA)		

Note 1.-Area 'C' shall comprise all areas not mentioned in this list but to which the Minimum Wages Act, 1948 (11 of 1948) extends.

Note 2.- U.A. means Urban Agglomeration.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29042021-226788  
CG-DL-E-29042021-226788

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 29, 2021/वैशाख 9, 1943

No. 241]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 29, 2021/VAISAKHA 9, 1943

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2021

सा.का.नि. 299(अ).—केंद्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) स्कीम, 2021 है।
- (2) यह पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (iv) के जो 15 फरवरी, 2020 से प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा, सिवाय राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।
2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 22 के उप-पैरा (3) में, -
  - (क) आरंभिक भाग में "एक ही स्थापना में रोजगार में था" शब्दों के स्थान पर "नियोजन में था" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ख) खंड (i) में, --
    - (i) "तीस गुणा" शब्दों के स्थान पर "पैंतालीस गुणा" शब्द रखे जाएंगे;
    - (ii) "या उसकी सदस्यता की अवधि, जो भी कम हो" शब्दों का लोप किया जाएगा;



(iii) “एक लाख पचास हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “एक लाख पचहत्तर हजार रुपये” शब्द रखे जाएंगे;

(iv) दूसरे परंतुक से पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, और 15 फरवरी, 2020 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात् :-

“परंतु बीमा प्रसुविधा दो लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी.”;

(v) दूसरे परंतुक में, “छह लाख रुपये” शब्दों के स्थान पर “सात लाख रुपये” शब्द रखे जाएंगे ।

3. उक्त स्कीम के पैरा 28 के उप-पैरा (4) के खंड (i) में, “केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त” शब्दों के पश्चात् “या अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (मुख्यालय) या अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त” शब्द और कोष्ठक अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

4. उक्त स्कीम के पैरा 29 की दीर्घ पंक्ति में, “चार हजार रुपये” शब्दों के स्थान पर “पच्चीस हजार रुपये” शब्द रखे जाएंगे ।

5. उक्त स्कीम के पैरा 22 के उप-पैरा (3) में किए गए संशोधन से संबंधित इस स्कीम के पैरा (2) के उपबंध इस स्कीम के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त होंगे ।

[फा. सं. आर-16011/1/2020-एसएस-II]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण :** कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. संख्यांक 488(अ), तारीख 28 जुलाई, 1976 द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 286 (अ), तारीख 4 अप्रैल, 2019 द्वारा किया गया था ।

#### स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i), तारीख 15 फरवरी, 2018 में अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 170(अ), तारीख 15 फरवरी, 2018 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा न्यूनतम बीमा प्रसुविधा की अधिकतम सीमा को दो वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाकर दो लाख पचास हजार रुपये कर दिया गया था, जो 14 फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी। इसलिए उक्त प्रसुविधा को निरंतरता प्रदान करने के प्रयोजन के लिए इस संशोधन स्कीम के पैरा 2 के खंड (ख) के उपखंड (iv) को 15 फरवरी, 2020 से भूतकालीन प्रभाव दिया गया है, जो किसी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2021

**G.S.R. 299(E).**—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, namely:—

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette, except sub-clause (iv) of clause (b) of paragraph 2, which shall be deemed to have come into force on the 15<sup>th</sup> day of February, 2020.

2. In the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme), in paragraph 22, in sub-paragraph (3),—

(a) in the opening portion, for the words “who was in employment of the same establishment”, the words “and was in employment” shall be substituted;

(b) in clause (i),—

- (i) for the words “thirty times”, the words “thirty-five times” shall be substituted;
- (ii) the words “or during the period of his membership, whichever is less” shall be omitted;
- (iii) for the words “one lakh and fifty thousand rupees”, the words “one lakh and seventy-five thousand rupees” shall be substituted;
- (iv) before the second proviso, the following proviso shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 15<sup>th</sup> day of February, 2020, namely:—

“Provided that the assurance benefit shall not be less than two lakh and fifty thousand rupees.”;
- (v) in the second proviso, for the words “six lakh rupees”, the words “seven lakh rupees” shall be substituted.

3. In the said Scheme, in paragraph 28, in sub-paragraph (4), in clause (i), after the words “Central Provident Fund Commissioner”, the words and brackets “or Additional Central Provident Commissioner (Head Quarters) or Additional Central Provident Fund Commissioner” shall be inserted.

4. In the said Scheme, in paragraph 29, in the long line, for the words “four thousand rupees”, the words “twenty-five thousand rupees” shall be substituted.

5. The provisions of paragraph 2 of this Scheme relating to amendments made thereto in sub-paragraph (3) of paragraph 22 of the said Scheme shall be in force for a period of three years with effect from the date of publication this Scheme in the Official Gazette.

[F. No. R-16011/1/2020-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

**Note:—** The Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* number G.S.R. 488(E), dated the 28<sup>th</sup> July, 1976 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 286(E), dated the 4<sup>th</sup> April, 2019.

#### EXPLANATORY MEMORANDUM

*Vide* the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number G.S.R. 170(E), dated the 15<sup>th</sup> February, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 15<sup>th</sup> February, 2018, the minimum assurance benefit ceiling was increased to two lakh and fifty thousand rupees for a period of two years, which expired on the 14<sup>th</sup> February, 2020. Therefore, for the purpose of giving continuity to the said benefit, sub-clause (iv) of clause (b) of paragraph 2 of this amendment Scheme is given effect to retrospectively from the 15<sup>th</sup> day of February, 2020, which will not adversely affect the interests of any person.



# ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಪತ್ರ

ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದುದು  
ವಿಶೇಷ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಿಕೆ

ಭಾಗ - 4ಎ  
Part - IVA

ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೋಮವಾರ, ೨೬, ಏಪ್ರಿಲ್, ೨೦೨೧ (ವೈಶಾಖ, ೦೬, ಶಕವರ್ಷ, ೧೯೪೩)  
BENGALURU, MONDAY, 26, APRIL, 2021 (VAISHAKHA, 06, SHAKAVARSHA, 1943)

ನಂ. ೪೪೬  
No. 446

## GOVERNMENT OF KARNATAKA

No. FD 02 CPT 2021

Karnataka Government Secretariat,  
Vidhana Soudha,  
Bengaluru, dated: 26/04/2021.

### REMOVAL OF DIFFICULTIES ORDER (01 /2021)

WHEREAS, sub-section (1) of section 6-A of the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976 (Karnataka Act 35 of 1976) (hereafter in this Order referred to as the said Act) mandates every employer registered under this Act to furnish, within twenty days of expiry of the month, a statement showing therein the salary and wages paid by him and the amount of tax deducted by him in respect thereof during the month immediately preceding that month.

Whereas, sub-section (1) of section 10 of the said Act mandates every enrolled person to pay the tax payable by him under the said Act and file his return before the assessing authority, in such form as may be prescribed. Sub-section (2) of section specifies that the enrolled persons shall make the payment of tax due for each year as under:

(a) In respect of a person who stands enrolled before the commencement of a year	Before the 30 <sup>th</sup> April of that year
(b) In respect of person who is enrolled after the commencement of a year	Within one month from the date of enrolment.

Whereas due to the pandemic of Corona Covid-19 virus and the consequential lock down, it has become difficult to for the registered persons and enrolled persons to file the returns and make payment of tax within the time limit specified above and there is a requirement to remove this difficulty by extending the time limit of filing of the returns and making such payment.

WHEREAS Section 34 of the said Act provides that in case any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by notification, make such

(೧)

provisions, not inconsistent with this Act, as appears to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 34 of the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1976, the Government of Karnataka, hereby makes the following Order, to remove the difficulties, namely:-

1. **Short title** -This Order may be called the Karnataka Tax on Professions, Trades, Callings and Employments (Removal of Difficulties) Order, 2021.
2. For the removal of difficulties, the following are that,-
  - (1) In section 6-A of the said Act, in sub-section (1), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided also that for the month of April 2021, the statement shall be submitted on or before 20<sup>th</sup> day of June, 2021.”
  - (2) In section 10 of the said Act, in sub-section (2), the following provision shall be inserted, namely:-

“Provided that for the financial year 2021-22, in respect of person who stands enrolled before the commencement of the said year, the payment of the amount of tax due shall be paid before the 30<sup>th</sup> day of May, 2021.”

By Order and in the name of the  
Governor of Karnataka,

(K. SAVITHRAMMA)  
Under Secretary to Government,  
Finance Department (C.T.-1)

**GOVERNMENT OF WEST BENGAL  
DIRECTORATE OF COMMERCIAL TAXES  
OFFICE OF THE COMMISSISONER OF COMMERCIAL TAXES AND  
PROFESSION TAX  
14, BELIAGHATA ROAD, KOLKATA-700015**

**ORDER**

Dated: 21/04/2021


Whereas the raging Covid 19 pandemic has made it necessary to consider the case of extension of the last date of filing of the return in Form-III under section 6 of the West Bengal State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Act, 1979 read with rule 12 of the West Bengal State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1979 for the year ending on the 31<sup>st</sup> day of March, 2021,

Now, therefore, in exercise of the power conferred upon me under rule 12 of the West Bengal State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1979, the last date of filing return in Form-III, in electronic and paper form, for the period mentioned in column (1) of the Table below is extended as specified column (4) and (5) respectively of the said Table:

Table

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Period in respect of which return is required to be furnished	Last date of payment of tax payable according to that return under clause (b) of sub-rule (3) of rule 12	Usual last date of transmission of data electronically [under rule 12(1)] and usual last date of furnishing paper form of that return [under rule 12(2)]	Extended last date of transmission of data electronically of that return as specified now	Extended last date of furnishing paper form of that return as specified now
Y.E. 31.03.2021	30.04.2021	30.4.2021 and 15.5.2021 respectively	30.06.2021	15.07.2021


Any return for the said period of Y.E. 31.03.21 having been filed within the extended date as specified in column (4) and (5) of the Table above, with the tax payable thereunder having been paid within 30.04.21, shall be deemed to have been furnished within the prescribed date in terms of the proviso to sub rule (2) of rule 12 of the West Bengal State Tax on Professions, Trades, Callings and Employments Rules, 1979, and accordingly no late fee shall be payable under sub-section (2) of section (6) for such return.

  
(Khalid Aizaz Anwar)  
Commissioner,  
Profession Tax, West Bengal

Memo No: 119.CT/PRO

Date: 23/04/2021

Copy forwarded to the Additional Commissioner of Revenue, Commercial Taxes, I.S.D. for uploading it on the official website of the Directorate of Commercial Taxes, West Bengal for information of all concerned.

  
(Nabanita Pal)  
Addl. CCT & PRO



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06042021-226379  
CG-DL-E-06042021-226379

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 146]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 6, 2021/चैत्र 16, 1943

No. 146]

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 6, 2021/CHAITRA 16, 1943

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2021

संख्या : एन-12/13/1/2019 यो. एवं वि.—जबकि दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता शर्तों में शिथिलता का आगे और विस्तार करने हेतु मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 क्रम संख्या 436 दिनांक 14.10.2020 में दिनांक 16.10.2020 को यथा अधिसूचित निबंधनों और शर्तों तथा भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 दिनांक 04.01.2021 में दिनांक 11.01.2021 को यथा अधिसूचित शिथिलता के साथ, कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) के अंतर्गत यथा अपेक्षित भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4, दिनांक 08.02.2021 में प्रकाशित इस अधिसूचना के प्रकाशन के 30 दिनों की अवधि समाप्ति तक इससे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने के प्रयोजन से प्रकाशित की गयी थी;

और जबकि उक्त गज़ट अधिसूचना जनसाधारण को दिनांक 09.02.2021 को उपलब्ध करा दी गयी थी;

तथा प्रभावित होने वाले सम्भावित व्यक्तियों से कोई सुझाव प्राप्त नहीं हुआ;

अतः कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दिनांक 01.01.2021 से 30.06.2021 तक की अवधि के लिये अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना की पात्रता शर्तों में शिथिलता के विस्तार को भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4

क्रम संख्या 436, दिनांक 14.10.2020 में दिनांक 16.10.2020 को यथा अधिसूचित निबंधनों और शर्तों तथा भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III खंड 4 दिनांक 04.01.2021 में दिनांक 11.01.2021 को यथा अधिसूचित शर्तों में शिथिलता के साथ एतद्वारा अधिसूचित करता है।

एस. बिस्वास, बीमा आयुक्त (योववि)

[विज्ञापन-III/4/असा./09/2021-22]

**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION  
NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th March, 2021

**No. N-12/13/1/2019 P&D.**—Whereas draft notification further to extend relaxation in eligibility conditions in the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for period 01.01.2021 to 30.06.2021 with the same terms and conditions as notified on 16.10.2020 in the Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III Section 4 Sl. No 436 dated 14.10.2020 and with the relaxation in the conditions as notified on 11.01.2021 in Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III section 4 dated 04.01.2021 was published as required under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948) in the Gazette of India (Extraordinary) Part III Section 4 dated 08.02.2021 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of period of thirty days on which the notification was published;

And whereas, the said Gazette notification was made available to the public on 09.02.2021;

And no suggestion was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 97 the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to extend relaxation in eligibility conditions in the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for period 01.01.2021 to 30.06.2021 with the same terms and conditions as notified on 16.10.2020 in the Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III Section 4 Sl. No 436 dated 14.10.2020 and with the relaxation in the conditions as notified on 11.01.2021 in Gazette of India (EXTRAORDINARY) Part III section 4 dated 04.01.2021.

S. BISWAS, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Exty./09/2021-22]



सत्यमेव जयते

# The Gujarat Government Gazette

EXTRAORDINARY  
PUBLISHED BY AUTHORITY

Vol. LXII ] WEDNESDAY, MARCH 31, 2021 / CHAITRA 10, 1943

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a Separate Compilation.

## PART IV-A

Rules and Orders (Other than those published in Parts I, I-A, and I-L) made  
by the Government of Gujarat under the Central Acts

### LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Sachivalaya, Gandhinagar, 26<sup>th</sup> March, 2021.

#### THE PAYMENT OF GRATUITY ACT, 1972.

No:GHR/2021/22/LBL/192020/510460/M3:- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Payment of Gratuity Act, 1972 (39 of 1972) the Government of Gujarat, hereby makes the following rules further to amend the Payment of Gratuity (Gujarat) Rules, 1973, namely:-

- (1) These rules may be called the Payment of Gratuity (Gujarat) (Amendment) Rules, 2021.  
(2) They shall come into force from the date of their publication in the *Official Gazette*.
- In the Payment of Gratuity (Gujarat) Rules, 1973 the rule 4 and rule 19 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

JYOTSNA CHAUHAN,  
Deputy Secretary to Government.

### LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Sachivalaya, Gandhinagar, 26<sup>th</sup> March, 2021.

#### CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970.

No :GHR/2021/23/LBL/192020/510460/M3 :- The following draft of rules which is proposed to be issued under section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970) is published as required by sub-section (1) of section 35 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Government of Gujarat on or after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the *Official Gazette*.



Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Labour and Employment Department, Block No.5, 6<sup>th</sup> Floor, Sachivalaya, Gandhinagar from any person with respect to the said draft rules on or before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government.

### DRAFT NOTIFICATION

#### CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) ACT, 1970.

No : GHR/2021/23/LBL/192020/510460/M3:- In exercise of the powers conferred by section 35 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (37 of 1970), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Gujarat) Rules, 1972, namely:-

1. (1) These rules may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Gujarat Amendment) Rules, 2021.  
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the *Official Gazette*.
2. In the Contract Labour (Regulation and Abolition) (Gujarat) Rules, 1972 (hereinafter referred to as "the said rules"), -
  - (1) rule 47 shall be deleted.
  - (2) rule 50 shall be deleted.
  - (3) rule 79 shall be deleted.
3. In the said rules, in rule 80, in sub-rule (1) the words "or at a place within a radius of three kilometers" shall be deleted.
4. In the said rules, in rule 81, sub-rule (2) shall be deleted.
5. In the said rules, for rule 82 the following rule shall be substituted, namely, -  
"82. Every establishment / contractor / principal employer shall file the consolidated annual return in Annexure - V as prescribed under Self Certification-cum-Consolidated Annual Return Scheme under the Gujarat Labour Laws (Amendment) Act, 2015 along with required document and information. The return can be filed online between 1<sup>st</sup> January and 1<sup>st</sup> March every year."
6. In the said rules, FORM XXIV and FORM XXV are deleted.

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

**JYOTSNA CHAUHAN,**  
Deputy Secretary to Government.

### LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

#### NOTIFICATION

Sachivalaya, Gandhinagar, 26<sup>th</sup> March, 2021.

#### INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979.

No :GHR/2021/24/LBL/192020/510460/M3:- The following draft of rules which is proposed to be issued under section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979) is published as required by sub-section (1) of section 35 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration by the Government of Gujarat on or after the expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the *Official Gazette*.

Any objection or suggestion which may be received by the Additional Chief Secretary, Labour and Employment Department, Block No.5, 6<sup>th</sup> Floor, Sachivalaya, Gandhinagar from any person with respect to the said draft rules on or before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Government.

### DRAFT NOTIFICATION

#### INTER-STATE MIGRANT WORKMEN (REGULATION EMPLOYMENT AND CONDITIONS OF SERVICE) ACT, 1979.

**No : GHR/2021/24/LBL/192020/510460/M3:-** In exercise of the powers conferred by section 35 of the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (30 of 1979), the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Gujarat) Rules, 1981, namely:-

1. (1) These rules may be called The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Gujarat Amendment) Rules, 2021.  
(2) They shall come into force on the date of their final publication in the *Official Gazette*.
2. In The Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) (Gujarat) Rules , 1981 (hereinafter referred to as "the said rules"),-
  - (1) in rule 11, in sub-rule (2), clause (xii) shall be deleted ;
  - (2) in rule 41, sub-rule (17) shall be deleted ;
3. In the said rules, in rule 52, in sub-rule (2), after clause (b) the following proviso shall be added, namely,-  
" Provided that such authentication may not be required in case of electronic payment."
4. In the said rules, rule 54 shall be deleted.
5. In the said rules, in rule 55, sub-rule (2) shall be deleted ;

By order and in the name of the Governor of Gujarat,

**JYOTSNA CHAUHAN,**  
Deputy Secretary to Government.